

कार्यालय नगरपालिका परिषद् मण्डला



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वर्ष 2023

प्राक्कथन

लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, और उसे जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धान्त पर आधारित है। शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। संविधान की यह मान्यता है कि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की इच्छा व अकांक्षा के अनुरूप संविधान सम्मत शासन का संचालन व नीतियों का निर्धारण इस प्रकार हो कि, प्रत्येक

व्यक्ति को उसकी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन को हर स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है। यह सभी संभव है, जब नागरिकों को शासन व उसके अधीन समस्त प्रशासनिक इकाईयों के क्रिया कलापों की उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, जो उनसे जुड़ी है, या जो जनहित में आवश्यक हो।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2003 में राज्य शासन ने मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 क्रमांक 3 सन् 2003 पारित किया व अब केन्द्र शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है।

नगरपालिका मण्डला मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत गठित एक नियमित निकाय है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक "लोक प्राधिकारी" है। नगरपालिका परिषद् के कार्य व कर्तव्य नागरिकों से सीधे जुड़े हुए हैं। अतः नागरिकों को नगर व नागरिकों के लिए निर्धारित की जाने नीति, स्वीकृत योजनाएं व नगरपालिका व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य तथा कार्यप्रणाली की समग्र जानकारी नागरिकों को एक स्थान पर प्राप्त हो सके इसी उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4 में वर्णित समस्त जानकारी समाहित करते यह हस्त पुस्तिका तैयार की गई है।

इस हस्त पुस्तिका में अंकित जानकारी व सूचना से अधिक जानकारी या किसी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

अध्याय - एक

संगठन की विशिष्टता, कृत्य एवं कर्तव्य

नगरपालिका परिषद् मण्डला जिला मण्डला को स्थापना वर्ष 23.06.1867 में की गई। वर्तमान में म.प्र.नगरपालिका अधिनियम 1961 व उसके अंतर्गत बनाए गए, नियमों से वह अपने कर्तव्यों को सम्पादित कर रही है।

परिषद् के मुख्य कर्तव्य व कार्यों का विवरण नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिर्दिष्ट है। जो निम्नानुसार है -:

(क) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा भवनों को प्रकाशित करना.

- (ख) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा मल-नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों और जो सार्वजनिक उपभोग के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थान परिषद् में निहित हो या न हों, हानिकारक घासपात को हटाना और समस्त सार्वजनिक न्यूसेंस का उपशमन करना.
- (ग) विष्ठा तथा कूड़ा करकट का व्ययन करना और विष्ठा तथा कूड़ा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना.
- (घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दशा में जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना.
- (ङ) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियम या उपशमन करना.
- (च) सार्वजनिक पथों या स्थानों में से तथा ऐसे स्थलों में से, जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों, और जो सर्व साधारण के उपभोग के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थल परिषद्, में निहित हों या राज्य सरकार में निहित हों, बाधाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना.
- (छ) मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए स्थान अर्जित करना, उनका अनुरक्षण करना, उनमें तब्दीली तथा उनका विनियमन करना.
- (ज) महामारी या अन्य अकल्पित आपात-स्थिति में मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए ऐसे विशेष उपाय करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस संबंध में निर्देश देने के लिए सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाएं.
- (झ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरूद्धार करना.
- (ञ) सार्वजनिक पथों, पुलियों, न.पा. के सीमा-चिन्हों, मण्डियों, हाटों, वधशालाओं, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, नालियों, मल-नालियों, जल निकास-संकर्मा, मलनाली से संबंधित संकर्मों, स्नानगृहों, धुलाई के स्थानों, पीने के पानी के नलों, तालाबों, कुओं, बांधों तथा उसी प्रकार के अन्य संकर्मों का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना और उनका अनुरक्षण करना.
- (ट) कांजी हाऊस की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना और जहाँ पशु अतिवार अधिनियम 1871 (1871 का.सं.1) प्रवर्तन में हो वहाँ उस अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17 तथा 19 के अधीन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य करना.
- (ढ) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों तथा घरेलू, पशुओं के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त जलप्रदाय या अतिरिक्त जलप्रदाय को जब तक ऐसा प्रदाय या अतिरिक्त प्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो, प्राप्त करना और ऐसे जल का नियतकालिक रूप से सूक्ष्म परीक्षण करना.
- (ड) पथों तथा उद्यानों का नामकरण करना तथा मकानों को संख्यांकित करना.
- (ढ़) जन्म, विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना.
- (ण) सार्वजनिक, टीके लगाना.
- (त) किन्हीं भी ऐसे बछड़ों, गायों या भैसों के लिए, जो पशु टीक (लिम्फ) के प्रदाय के लिए न.पा. की सीमाओं के भीतर अपेक्षित हों, उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना.
- (थ) पशुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अन्तरालों से जो निहित किए जाएं, कृषि उपयोगी पशुओं की गणना.
- (द) ऐसे उपाय करना जो संक्रामक रोगों से पैदा होने या फैलने या उनकी पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिए अपेक्षित हों.
- (घ) नगरपालिका के प्रशासन पर ऐसी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे (रिपोर्ट को) प्रस्तुत करने के लिए परिषद् से अपेक्षा करे.
- (म) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी स्थिति में, जिसका कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाए, मजबूत सीमा चिन्हों का निर्माण करना जो नगरपालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन को परिनिश्चित करते हों.
- (ग) परिषद् के सफाई कर्मचारीवृन्द के लिए आवास गृहों का सन्निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना.

- (फ) प्राथमिक शालाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना. इसके अतिरिक्त नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 124 के खण्ड (क) से (फ) में उल्लेखित निम्न विषयों के लिए नगरपालिका की स्थाई व निधि से विवेकानुसार व्यवस्था कर सकती है। धारा 124 (क) से (फ)
- (क) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरूद्धार करना ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें पूर्व में निर्माण हुआ हो या नहीं- नए सार्वजनिक पथों का अभिन्यास करना तथा उस प्रायोजन के लिए भूमि अर्जित करना, जिसमें ऐसे मार्गों से सरपशी भवन के लिए भू-खण्ड सम्मिलित होंगे.
- (ख) सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों तथा खुले स्थलों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, का सन्निर्माण करना, उनकी स्थापना करना या उनका अनुरक्षण करना.
- (ग) शैक्षणिक उद्देश्यों को अग्रसर करना.
- (घ) सड़क के किनारों तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण तथा उनका अनुरक्षण करना.
- (ङ) सार्वजनिक पथों तथा स्थानों पर जल छिड़कना.
- (च) चौराहों, उद्यानों या सार्वजनिक समागम के अन्य स्थानों में संगीत की व्यवस्था करना.
- (छ) स्थानीय प्रयोजनों के लिए जनगणना करना और ऐसी जानकारी के हेतु, जिससे जन्म-मृत्यु संबंधी आंकड़ों का ठीक-ठीक रजिस्ट्रीकरण हो सके, पुरस्कार देना.
- (ज) सर्वेक्षण करना.
- (झ) किसी वैतनिक या अवैतनिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को बनाए रखने के लिए आनुपंगिक वेतन तथा भत्ते, भाड़े तथा अन्य खर्चे या ऐसे किन्हीं भी खर्चों के किसी भाग का संदाय करना.
- (ञ) ऐसे कुत्तों तथा सुअरों का विनाश या निरोध करना, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति के अधीन विनाश किया जा सकता हो या जिन्हें निरोध में रखा जा सकता हो.
- (ट) इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट खतरनाक तथा घृणोत्पादक व्यापारों को चलाने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना.
- (ठ) प्राइवेट परिसरों पर या उनके उपयोग के लिए उनका मलमूल परिषद् के नियंत्रणाधीन मल-नाली में इकट्ठा करने तथा उसे बहाकर ले जाने के लिए पात्रों, फिटिंगों, नलों तथा अन्य प्रकार के साधित्रों का, चाहे जो भी, प्रदाय, निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना.
- (ड) मलमूत्र के व्ययन के लिए फार्म या कारखाना स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना.
- (ढ़) नगरपालिका के कर्मचारियों के या उनके किसी वर्ग के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करना.
- (ण) सफाई कर्मचारी वृन्द से भिन्न परिषद् के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करना.
- (त) निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वच्छ निवासगृह का निर्माण करना.
- (थ) पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों, औषधालयों या इसी प्रकार के संस्थाओं के, जो सार्वजनिक चिकित्सा सहायता प्रदान करती हो या सामाजिक कार्य में लगी हो या पूर्व प्रकृति की अन्य संस्थाओं के निर्माण, उनकी स्थापना या उनके अनुरक्षण हेतु अभिदाय करना.
- (द) चारागाह या चराई के स्थानों का अग्रन करना तथा उनका अनुरक्षण करना और डेरी फार्मों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और अभिजनन सांड रखना तथा उनका भरण-पोषण करना.
- (ध) नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों के फायदे के लिए दुग्ध के उत्पादों के प्रदाय, वितरण तथा प्रसंस्करण के लिए डेरियां या फार्मों की स्थापना करना.
- (न) विशेषतः गर्भिणी तथा रतनपान कराने वाली माताओं, बच्चों तथा अश्वतों के उपयोग के लिए गलाई युक्त या गलाई रहित दुग्ध, संघनीकृत दुग्ध, वाष्पीकरण द्वारा नमी रहित किया गया दुग्ध, दुग्ध चूर्ण तथा कृत्रिम या सोयाबीन दुग्ध प्राप्त करना और निःशुल्क या कम मूल्य पर वितरित करना.
- (प) वासगृहों तथा भोजनालयों की व्यवस्था करना तथा उन्हें चलाना.

- (फ) भोजन गृह, जैसे जलपान गृह, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, उपहार-गृह, कैफे स्वल्पाहार गृह, होटल तथा ऐसे स्थान स्थापित करना और उन्हें चलाना जहाफ खाद्य तथा पेय पदार्थ दिए जाते हैं.
 - (व) शेड, छप्परो (बूथ्स) तथा अन्य सुविधाओं सहित सार्वजनिक स्नान-गृहों या तैरने के तालाबों की व्यवस्था करना तथा उनका अनुरक्षण करना.
 - (भ) किसी भी वाणिज्यिक उद्यम का जिम्मा लेना.
 - (म) ऐसी सड़कों तथा ऐसे भवनों का और सिंवन संकर्मों से भिन्न ऐसे अन्य सरकारी संकर्मों का, जिन्हें राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार परिषद् को अंतरित करे, निर्माण करना तथा उनका अनुरक्षण करना.
 - (य) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी पागलखाने, कुष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकान में ऐसे पागलों तथा कुष्ठरोगियों के, जो नगरपालिका क्षेत्र में रहते हैं या नगरपालिका क्षेत्र से हटाए गए हों, भरण पोषण की तथा उपचार की व्यवस्था करना.
 - (कक) पागलों, कुष्ठ रोगियों तथा उन व्यक्तियों को जिनका अलर्कविरोधी (एण्टीरिबिक) उपचार होना आवश्यक हों, उनके उपचार के लिए स्थापित पागलखाने, कुष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकान में चाहे वह नगरपालिका की सीमाओं के भीतर हों या बाहर, भिजवाने की व्यवस्था करना.
 - (गग) मेले तथा प्रदर्शनीयुक्त मेले लगाना.
 - (घघ) पशु औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना.
 - (डड) नगरपालिका के भीतर ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्वागत समारोह, उत्सव, मनोरंजन या प्रदर्शनी का आयोजन करना, जिसमें उस रकम से अधिक रकम खर्च न हो जो नियमों द्वारा इस निहित की गई हो.
- परन्तु यह जबकि, परिषद् द्वारा उस निर्मित साधारण सम्मिलन में एक संकल्प पारित कर दिया जाए -:
- (चच) अन्यथा उप बंधित न किया गया कोई भी ऐसा विषय जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा जनता की सुविधा का उन्नयन संभव हो.
 - (छछ) चिकित्सालयों, तथा औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना.
 - (जज) दरिद्रालयों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और
 - (झझ) नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है.
 - (जज) भूमि उपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण.
 - (टट) आर्थिक और सामाजिक विकास योजना.
 - (ठठ) नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और परिस्थितियों आयामों की अभिवृद्धि.
 - (डड) समाज के दुर्बल वर्गों में जिनके अंतर्गत विकलांग और मंद व्यक्ति भी हैं हितों की रक्षा.
 - (ढढ) नगरीय निर्धनता उन्मूलन.
 - (णण) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई भी अन्य खर्च करना ।

नगरपालिका परिषद् मण्डला का संगठनात्मक ढांचा

नगरपालिका परिषद्
प्रेसीडेंट इन काउंसिल

अध्यक्ष

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

सामान्य प्रशासन	राजस्व विभाग	स्वास्थ्य विभाग	लोक निर्माण विभाग	कर्मशाला/ वाहन विभाग	अग्निशमन विभाग	जन कल्याण एवं जन सुविधा विभाग
कार्या.अधी.	वरिष्ठ राज.निरी.	स्वा.अधि.	सहा.यंत्री	ड्राइवर (भारी वाहन)	मुख्य फायरमेन	सामुदायिक विकास संगठक
सहा.ग्रेड 01	राज.निरी.	स्वा.निरी.	उपयंत्री (सिविल)	ड्राइवर (हल्के वाहन)	फायरमेन	सहायक सामुदायिक विकास संगठक
सहा.ग्रेड 02	रा.उप.नि.	स्वा.उप निरी.	समयपाल	इलेक्ट्रीशन		
सहा. ग्रेड 03	स.राज.निरी.	स्वा.पर्य.	उद्यान पर्यवेक्षक			
रोकपाल		सफाई संरक्षक	माली (प्रशिक्षित)			
लेखा अधि.			उपयंत्री (E&M)			
लेखापाल			फिल्टर/पंप अटेंडेड			
भृत्य			प्लम्बर/फिटर			
चौकीदार			समयपाल (E&M)			
सुरक्षा गार्ड						

नगरपालिका के प्रत्येक विभाग के कार्य एवं कर्तव्य (ख)

स.क्र. विभाग

1. सामान्य प्रशासन विभाग

कार्य

लोक प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन की सुचारू व्यवस्था एवं

संचालन तथा लेखाओं के संधारण का यह विभाग उत्तरदायी है । उसके प्रमुख कार्य एवं कर्तव्य निम्नानुसार हैं - :

प्रशासन - :

1. कार्यालय की समुचित व्यवस्था ।
2. अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाश कार्य विभाजन
3. कार्यालयीन पत्र/व्यवहार का संधारण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।
4. रिकार्ड/पत्रों का आवक/जावक, पंजीकरण व निरस्तीकरण।
5. परिषद्, प्रेसीडेंट इन काउंसिल परामर्शदात्री समितियों के सम्मेलन की सूचना उसके कार्यवृत्तों का संधारण उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना व उनके निर्णयों के क्रियान्वयन व पालन हेतु संबंधित विभाग अधिकारियों को प्रेषित ।
6. कार्यालयीन निरीक्षण व पर्यवेक्षण ।
7. वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का पालन ।
8. प्राधिकरण के सम्पूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण ।

लेखा - :

1. निकाय के करों, शुल्कों अनुज्ञा शुल्कों व अन्य मदों में कर्मचारियों द्वारा वसूल या प्राप्त की गई है, की जांचकर प्राप्त कर निर्धारित रोकड़ पुस्तक में अंकित करना व कोषालय या बैंक में जमा करना ।
2. निकाय द्वारा किए जाने वाले समस्त भुगतानों की जांच करना व सुनिश्चित करना कि सम्पादित कार्य/क्रय या व्यवहार की सक्षम स्वीकृति है । बजट प्रावधान है, स्टाक रजिस्टर या लेजर बुक में प्रविष्टि है, व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्तकर भुगतान करना व उसका लेखा निर्धारित लेखा पुस्तिका में संधारित करना ।
3. मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक लेखाओं को तैयार करना व वर्निदिष्ट अधिकारियों को भेजना ।
4. वार्षिक आय-व्यय अनुमान पत्रक तैयार करना ।
5. समस्त प्रतिभूतियां, अमानतों, अग्रिमों के लेखों का संधारण।
6. ऋण एवं अनुदान से प्राप्त समस्त राशियों को लेखाओं का संधारण ।
7. जनसहयोग या स्वेच्छिक अभिदाता द्वारा प्राप्त राशियों का लेखा निर्धारण प्रारूप रजिस्टर में रखना।
8. लेखाओं का अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण।
2. राजस्व विभाग परिषद् के राजस्व विभाग का मुख्य कार्य एवं कर्तव्य निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों शुल्कों, एवं अन्य प्रभार तथा नगरपालिका मार्केट्स, स्लाटर हाऊस एवं अस्थायी एवं स्थायी लीजरेट तथा भूमि किराया, प्रीमियम आदि से संबंधित अभिलेख विहित प्रारूप में संधारण एवं वसूली करना है, इन कर्तव्यों की पूर्ति हेतु उसके द्वारा निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं - :
 1. संपत्ति कर, सफाई कर, जलकर, प्रकाश कर, शिक्षाकर एवं अन्य सभी करों, जिनकी कर निर्धारण सूची वार्षिक तैयार की जाती है, उनकी कर निर्धारण रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में तैयार करना।
 2. निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों व शुल्कों की शीघ्र वसूली करना ।
 3. करों शुल्कों व अन्य देयक राशियों की वसूली हेतु निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संख्या में रसीद बुकों की व्यवस्था उसके संशय व समाप्त होने पर वापस जमा करना, सुनिश्चित करना।

4. राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वसूल की गई राशि का यथा समय नगरपालिका कोष में जांच उपरांत जमा करना व उसका पर्यवेक्षण करना ।
5. राजस्व विभाग द्वारा जारी रसीदों का मूल रसीदों से कम से कम 10 प्रतिशत रसीदों को मिलान व सत्यापन करना।
6. नगरपालिका मार्केट, दुकानें, भूमि व अन्य संपत्ति के आवंटन हेतु सार्वजनिक घोष या टेण्डरों आदि की कार्यवाही। अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अनुरूप करना, व संबंधित अनुबंधों का निष्पादन सुनिश्चित करना ।
7. बकाया करों व शुल्कों व किराए की वसूली हेतु अधिनियम के प्रावधानानुसार बिल मांग सूचना पत्र व वारंट जारी करना व उनकी तामीली सुनिश्चित करना।
8. कांजी हौस की व्यवस्था की वसूली पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।
9. विहित प्रारूपों में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या निर्धारित सामयिक पत्रकों में करों आदि की वसूली की जानकारी विहित अधिकारी को देना ।
3. स्वास्थ्य विभाग परिषद् के इस विभाग का दायित्व नागरिकों को व जन-स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बीमारियों की रोकथाम, नगर की सफाई कचरा व ठोस अपशिष्टों का निपटान, ड्रेनेज व नालियों की सफाई आदि की व्यवस्था करना है । इन दायित्वों के निर्वहन हेतु व निम्न कार्यों को सम्पन्न करना है - :
 1. महामारी के समय प्रतिबंधात्मक उपाय, दवाइयों का विवरण व चिकित्सीय व्यवस्था ।
 2. पशुवधगृह, होटलों आदि का निरीक्षण ।
 3. खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों की जांच ।
 4. नगरीय क्षेत्र की सड़को, नालों व नालियों की सफाई ।
 5. सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों (सुलभ शौचालयों) का निर्माण।
 - 6.. शुष्क शौचालयों को शौचालय में परिवर्तन ।
 - 7.. शुद्ध पर्यावरण हेतु उद्यानों का निर्माण, रखरखाव व वृक्षारोपण।
 8. केन्द्र व राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं हेतु सर्वे, रजिस्ट्रीकरण एवं हितग्राहियों को सहायता वितरण ।
4. लोक नि.विभाग परिषद् के इस विभाग के निम्न कार्य व कर्तव्य हैं - :
 1. नगर विकास से संबंधित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों का संपादन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण ।
 2. नगर के सुनियोजित विकास की दृष्टि से कालोनियों के विकास की नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत वांछित स्वीकृति, भवन निर्माण की अनुमति दी जाना ।
 3. जन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक भवनों, सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों व खुली भूमियों से अतिक्रमण हटाने ।
 4. बिना अनुमति एवं अनुमति के विरुद्ध निर्माण कार्यों को हटाना व उनके विरुद्ध विधानांतर्गत कार्यवाही करना ।
5. जलप्रदाय विभाग परिषद् का जलप्रदाय विभाग निम्न कर्तव्य व कार्यों को सम्पन्न करना है - :
 1. जलप्रदाय की सम्पूर्ण व्यवस्था-इन्टेकवेल्, फिल्टर प्लांट, स्टोरेज, सप्लाय का संधारण एवं पर्यवेक्षण ।
 2. मुख्य व वितरण पाईप लाईन का संधारण परिवर्धन, परिवर्तन।
 3. पब्लिक स्टेण्ड का संधारण ।
 4. जलकष्ट की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था टैंकर्स व अन्य साधनों से सुलभ कराना ।
 5. व्यक्तिगत नल कनेक्शन की स्वीकृति व उनका पर्यवेक्षण।

6. नगरपालिका के स्वामित्व व सार्वजनिक जलस्रोतों, तालाबों, कुंओं आदि का संधारण
6. कर्मशाला विभाग इस विभाग का कार्य नगरीय निकाय के वाहनों, मशीनों व पम्पों आदि के संधारण व मरम्मत की व्यवस्था करना है, साथ ही वाहनों के लिए चालक परिचालक, क्लीनर आदि स्टाफ की उपस्थित, अवकाश आदि का नियंत्रण भी इस विभाग के जिम्मे रहता है ।
7. अग्निशमन विभाग कार्य एवं कर्तव्य - :
 1. अग्निशमक वाहनों का संधारण ।
 2. आग की स्थिति अग्निशमन की त्वरित व्यवस्था ।
 3. आपात स्थिति में प्रशासन व नागरिकों की सहायता ।
8. शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग के कार्य - :
 1. बाल मंदिरों की स्थापना व संचालन ।
 2. झूलाघरों की स्थापना व संचालन ।
 3. म.प्र.नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 के प्रावधानुसार शिक्षकों की नियुक्ति ।

अध्याय - दो

परिषद् के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य व शक्तियां

प्रपत्र - ग

क्र.	नाम पदाधिकारी	शक्तियां	कर्तव्य
1.	नगरपालिका मण्डला	1. म.प्र.नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रदत्त प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियां । 4. करारोपण एवं शुल्कों की स्वीकृति । 5. प्रायवेट पथ को सार्वजनिक पथ घोषित करने की शक्ति। 7. सार्वजनिक पथों को नियमित लाईन का निर्धारण। 8. मण्डी (मार्केट) की स्थापना 9. आदर्श दुग्ध उद्योग की स्थापना 10. धारा के 307 अंतर्गत अपील सुनने 11. विधिक कार्यवाही 12. अभियोजन की स्वीकृति 13. अधिनियमों से प्रयोजनों हेतु उपविधियों का निर्माण	1. अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिर्दिष्ट कर्तव्य। 3. परामर्शदात्री समिति का निर्वाचन। 4. धारा 109 के प्रावधानान्तर्गत पालिका संपत्ति का अंतरण । 5. अधिनियम के प्रयोजनों हेतु ऋण लेने की शक्ति । 6. वार्षिक आय-व्यय की स्वीकृति। ख. p1 लाख से 30 लाख तक.

2. प्रेसीडेंट इन काउंसिल पर नियुक्ति पदोन्नति।

1. धारा 94 (1) (2) (6) के अंतर्गत कर्मचारियों नियुक्ति एवं दंड 1. 94 (1) (2) व (6) के अंतर्गत आने वाले पदों

2. ₹500 से अनाधिक वार्षिक भाड़ा मूल्य एवं प्रीमियम को 2. धारा 109 व संबंधित नियमों के अंतर्गत स्थान/संपत्ति अंतरण।
3. वित्तीय शक्तियां - : ₹10 हजार से अधिक 1 लाख तक। 3. वित्तीय अधिकार की सीमा तक निर्माण कार्य/खरीदी की

स्वीकृति

कार्यवाही ।

4. अधिनियम की धारा 93 (1) 94 (1) (2) 121 (1) 126, 160 4. कालम 2 के खंड (4) में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत

160, 168 (7), 228, 235, 237, 238, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 253 (1), 261, 262 (1) (3), 263, 265, 267, 272, 273, 274, 282 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियां ।

3. अध्यक्ष

1. परिषद् की बैठक की अध्यक्षता व संचालन एवं विनियम। 1. परिषद् के निर्णयों का निष्पादन व संचालन।
2. अधिनियम की धारा 183 (5) 184, 186, 190, 203, 205, 2. परिषद् की वित्तीय और कार्यपालिक प्रशासन पर

निगरानी।

206, 207, 209, 210, 211, 218, 229, 267 एवं 283 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां ।

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति व दण्ड । 2. न.पा. के समस्त कार्य पालिक एवं वित्तीय प्रशासन पर निगरानी ।
2. सफाई कर व अन्य करों की कर निर्धारण सूची तैयार करना। 2. नगरपालिका की ओर से पत्राचार।
3. कर निर्धारण आपत्तियों का निराकरण । 3. परिषद् द्वारा लिए गए निर्णयों का अधिनियम व उसके

अंतर्गत

बने नियमों अनुसार पालन ।

4. मुख्य न.पा. अधिकारी

4. करों व भाड़े की वसूली हेतु वित्तीय बिल, मांग सूचना पत्र, 4. अधिनियम की धारा 180 (1) (2) वारंट जारी करने की शक्ति ।

185, 187, 187-ए, 191, 192, 194, 196, 197, 198, 199, 200 (2) 204, 208, 213, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 239, 241, 242, 248, 250, 251, 252 एवं 286 ।

5. वित्तीय शक्तियां - : ₹10000 तक ।
6. अन्य शक्तियां जो परिषद्/प्रेसीडेंट इन काउंसिल द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित की जावे
7. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्य की स्वीकृति ।
अन्य अधिकारी

ख.

1	2	3	4
---	---	---	---

लोककर्म			निकाय में चल रहे निर्माण कार्यों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण योजना तैयार करना सार्वजनिक विद्युत व्यवस्था.
स्वास्थ्य			साफ-सफाई व्यवस्था सभी प्रकार के अग्निशामक एवं अन्य वाहन व्यवस्था, खाद्य पदार्थ, राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु एवं सौंपे गए कार्य ।
लेखा	श्री आर.के.कछवाहा	प्र.लेखापाल	लेखा संबंधी सम्पूर्ण कार्य ।
राजस्व	श्री गणेश मिश्रा	रा.नि.	राजस्व संबंधी सम्पूर्ण कार्य अन्य शास.योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अन्य सौंपे गए कार्य ।

अध्याय - तीन

विनिश्चय/निर्णय किए जाने के प्रथम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के माध्यम/सारणी

1. परिषद् :-

प्रेषककर्ता - मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अध्यक्ष अथवा प्रेसीडेंट इन काउंसिल के अनुमोदन से ।

निर्णयकर्ता - परिषद् अपील/पुनरीक्षण - शासन

2. प्रेसीडेंट इन काउंसिल - : प्रेषककर्ता - मुख्य नगरपालिका अधिकारी निर्णयकर्ता - प्रेसीडेंट इन काउंसिल अपील/पुनरीक्षण - परिषद/संचालक

विभाग	प्रकरण प्रारंभकर्ता/ डिलिंगकर्ता कर्मचारी	अधिकारी जिसके माध्यम से निर्णय हेतु प्रस्तुत होता है	निर्णयकर्ता अधिकारी	निगरानी/ पर्यवेक्षण अधिकारी	प्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी
1	2	3	4	5	6
सामान्य प्रशासन शासन स्थापना	श्री दिलीप सोनी	प्र.कार्या.अधी.	श्री दिलीप सोनी	मु.न.अ./ पी.आई.सी /परिषद्	मु.न.अ./परिषद अध्यक्ष
भण्डार	कु.सर्फुनिन्शा खान	- ' ' -	- ' ' -	- ' ' -	- ' ' - - ' ' -
लेखा	श्री कृष्णकुमार साहू	- ' ' -	- ' ' -	- ' ' -	- ' ' - - ' ' -
केश	श्री रामकुमार कछवाहा	- ' ' -	- ' ' -	- ' ' -	- ' ' - - ' ' -
राजस्व	श्री कृष्णकुमार साहू	- ' ' -	- ' ' -	- ' ' -	- ' ' - - ' ' -
जन.कल्याण	श्री गणेश मिश्रा	- ' ' -	- ' ' -	- ' ' -	- ' ' - - ' ' -
लोककर्म	श्रीमती आशु मरावी	- ' ' -	- ' ' -	- ' ' -	- ' ' - - ' ' -
जलप्रदाय	श्री सुरेन्द्र सिंह	सहा.यंत्री	श्री जयप्रकाश डेहरिया	- ' ' -	- ' ' - - ' ' -
विद्युत	श्री कन्हैया पटेल	उपयंत्री	सुश्री रूखसार अली	- ' ' -	- ' ' - - ' ' -
स्वास्थ्य	श्री शिव तेकाम	उपयंत्री	श्री प्रवीण ठाकुर	- ' ' -	- ' ' - - ' ' -
	कु.शारदा चौहान	स्वा.अधि.	श्री के.के.रजक	- ' ' -	- ' ' - - ' ' -

94	7.7- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (अ) सामूहिक विवाह	15
95	18.1- जन्म का अप्राप्ता प्रमाण पत्र	45
96	18.2- □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□	7
97	18.5- जन्म प्रमाण पत्र	15
98	18.6-मृत्यु प्रमाण पत्र	15
99	18.7- विवाह पांजीयन	30
100	2.2-□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□	15
101	2.3- □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□	30
102	2.4-□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□	30

नगरपालिका परिषद् के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों/कर्मकारों/नियोजितों के द्वारा उपयोग किए गई, नियमों, विनियमों, अनुदेशों मन्युअल्स और अभिलेख अधिनियम/नियम

1. म.प्र.सामान्य प्रशासन पुस्तक परिपत्र
2. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा समय -समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देश.

અધ્યાય - છ :

लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

(ख) स्थायी समिति/ प्रेसीडेंट इन काउंसिल			
3.	वार्षिक प्रतिवेदन पंजी	प्रतिवेदन	
4.	स्टाक तथा भंडार पंजियां	पंजी	क्रय की गई सामग्री का विवरण
5.	अचल संपत्ति की पंजी	रजिस्टर न.पा.की अचल संपत्ति	
6.	भविष्य निधि अभिलेख	रजिस्टर कर्मचारियों के भविष्य निधि की जानकारी	
7.	जन्म/मृत्यु तथा विवाहों की पंजी	रजिस्टर जन्म मृत्यु/विवाह संबंधी जानकारी	
8.	वेतनबिल वेतन पत्रक	कर्मचारियों के वेतन वितरण	32 वर्ष
		संबंधी जानकारी	
9.	रोकडिया रोकड़	रोकडिया रोकड़ जमा राशि की जानकारी	25 वर्ष
10.	छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति	रजिस्टर कर्मचारी की छुट्टी/प्रतिनियुक्ति	--' '--
11.	स्थायी अग्रिम लेख	रजिस्टर अग्रिम की जानकारी	--' '--
12.	नगरपालिका रोकड़	रजिस्टर आय-व्यय की जानकारी	--' '--
13.	प्राप्तियों की नगद संक्षेप पंजी	लेजर रजि.आय की जानकारी	--' '--
14.	व्यय की संक्षेप पंजी	व्यय की लेजर व्यय की जानकारी	--' '--
15.	स्थापना पंजी	रजिस्टर स्थायी स्थापना की जानकारी	--' '--
16.	अवकाश पंजी	रजिस्टर अवकाश संबंधी जानकारी	--' '--
17.	समायोजन पंजी	रजिस्टर समायोजन की जानकारी	12 वर्ष
18.	अमानत व अग्रिम पंजी	रजिस्टर अग्रिमों की जानकारी	--' '--
19.	प्रतिभूमि पंजी	रजिस्टर प्रतिभूतियों की जानकारी	--' '--
20.	ऋण पंजी	रजिस्टर प्राप्त ऋणों की जानकारी	--' '--
21.	समस्त मांग संग्रहण पंजी	रजिस्टर कर संग्रहण की जानकारी	6 वर्ष व रसीद बुकें
22.	समस्त फीस पंजियां	रजिस्टर लायसेंस फीस	--' '--
23.	कांजी हाऊस पंजी व अभि.	रजि.व पंजी कांजी हाऊस की जानकारी	--' '--
34.	लेखा परीक्षण टिप्पणी	पंजी परीक्षण टीप व पत्र व्यवहार	--' '--
25.	चालान, विविध बिल व रसीद बुकें व लेखा विभाग के अन्य	फार्म व बुकें वसूली व जमा की जानकारी	4 वर्ष
26.	निर्माण कार्य के बिल/प्रमाण पत्र माप पुस्तिका	फार्म, बिलबुक निर्माण कार्यों संबंधी जानकारी	--' '--
27.	मस्टर रोल	प्रपत्र मजदूरी भुगतान	5 वर्ष
28.	बजट अनुमान	प्रपत्र बजट	4 वर्ष
29.	आवेदन पत्र/पत्राचार	नस्ती संबंधित प्रकरण की जानकारी	नियमानुसार

निर्धारित अवधि

अध्याय - सात

म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 में नगरपालिका परिषद् के नीति निर्धारण एवं उसके परिपालन/ क्रियान्वयन में लोक प्रतिनिधित्व देने के संबंध में व्यवस्था की निम्न विष्टियां है, जिसके अंतर्गत नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों (पार्षदों) तथा सामान्य नागरिकों का परामर्श प्राप्त होता है ।

1. नगरपालिका परिषद् द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीति व कार्य व उनका क्रियान्वयन पार्षदों के बहुमत से लिए गए निर्णय से किया जाता है ।

2. नगरपालिका अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत प्रेसीडेंट इन काउंसिल के गठन का प्रावधान है ।

(क) प्रेसीडेंट इन काउंसिल का गठन -:

1. प्रत्येक परिषद् के लिए एक प्रेसीडेंट इन काउंसिल होगी जो धारा 43 के अधीन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से सात दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष द्वारा गठित की जायेगी ।

2. प्रेसीडेंट इन काउंसिल नगरपालिका परिषद् की दशा में अध्यक्ष तथा सात सदस्यों और नगर पंचायत की दशा में अध्यक्ष तथा पाँच सदस्यों से मिल कर बनेगी ।

3. प्रेसीडेंट इन काउंसिल के सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे ।

4. प्रत्येक परिषद् में ऐसे विभाग होंगे जो कि, किए जाए और प्रेसीडेंट इन काउंसिल के सदस्य ऐसे विभाग के जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे, प्रभारी बनाए जायेंगे ।

5. अध्यक्ष, प्रेसीडेंट इन काउंसिल का पदेन सभापति होगा और यदि उपस्थित रहा तो प्रेसीडेंट इन काउंसिल के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सम्मेलन में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे ।

6. इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट किस बात के होते हुए भी प्रेसीडेंट इन काउंसिल, अध्यक्ष और सदस्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जैसे कि, विहित किया जाए ।

(ख) कृत्य -:

1. 50 हजार या उससे अधिक जनसंख्या की दशा में 15000 से अधिक किन्तु 2 लाख तक के व्यय की स्वीकृति । 50 हजार से कम जनसंख्या की दशा में 10000 से अधिक किन्तु 1 लाख तक के व्यय की स्वीकृति ।

2. अधिनियम की धारा 93 (1) 94 (1), (2), 121 (1), 126, 160, 168, 168 (7), 228, 235, 237, 238, 249, 263 (1) (3), 255 (1), 161, 262 (1) (3), 203, 265, 267, 272, 273, 274, एवं 281 द्वारा परिषद् में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग ।

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार ऊपर के प्रकरण संबंधित विभाग के प्रभारी सदस्य/अध्यक्ष को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

4. अधिनियम की धारा 57 (1), 61, 62, 71 (1), 138, 142 (1) 176 तथा 189 ए के अंतर्गत परिषद् में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करने ।

5. सदस्य गण -:

क्र.	नाम	विभाग का नाम
------	-----	--------------

5. कर्तव्य एवं दायित्व-उपरोक्त पेश 3 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यों व कर्तव्यों का संपादन।

6. प्रेसीडेंट इन काउंसिल की बैठक की कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तिका में लेखबद्ध की जावेगी व नागरिकों को उसके निरीक्षण का नियमानुसार अधिकारी है ।
3. अधिनियम की धारा 71 के अंतर्गत निर्वाचित पार्षदों की सलाहकार समितियों के माध्यम से विभाग से संबंधित प्रकरणों व नीतियों पर सलाह प्राप्त की जाती है ।
4. अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत परिषद् आवश्यकतानुसार अधिनियम के प्रयोजनों से संबंधित किसी भी प्रकरण में जांच व प्रतिवेदन हेतु पार्षदों की परामर्शदात्री समिति गठित करने का प्रावधान है।
5. अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत नागरिकों की वार्ड समिति का गठन कर उनका परामर्श नीति निर्धारण व कार्य सम्पादन में सुनिश्चित किए जाने की भी व्यवस्था है ।
6. अधिनियम की धारा 122 क के अंतर्गत परिषद् लेखाओं का सामाजिक अंकेक्षण करवाने की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत है ।

अध्याय - आठ

अधिनियम के अंतर्गत निम्न समितियों के गठन का प्रावधान है -:1. सलाहकार समिति (धारा 71)

	सलाहकार समिति का नाम	प्रेसीडेंट इन काउंसिल के सदस्य का नाम	सलाहकार समितियों के सदस्यों का नाम
(एक)	सामान्य प्रशासन विभाग	सुश्री ज्योति मलिक	श्रीमती ज्योति चौरसिया श्री रामजी गायक श्रीमती अनिता चौधरी श्री विनय गुलशन वरदानी श्री ब्रजेश जसवानी
(दो)	जल कार्य तथा सीवरेज विभाग	श्रीमती वंदना कछवाहा	श्री नरेश सिंधिया श्री रामजी गायक श्रीमती ज्योति चौरसिया श्रीमती ज्योति बाजपेयी श्रीमती आशा मर्सकोले
(तीन)	लोक निर्माण उद्यान, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग	श्री जितेन्द्र बर्वे	श्री नरेश सिंधिया श्रीमती अनिता चौधरी सुश्री पूर्णिमा धुर्वे श्री रामजी गायक श्री विनय गुलशन वरदानी
(चार)	राजस्व वित्त एवं लेखा विभाग	श्री सुधीर मिश्रा	श्री नरेश सिंधिया श्रीमती ज्योति चौरसिया

			श्रीमती माया गुप्ता
			श्रीमती सुलक्षणा मर्सकोले
			श्रीमती ज्योति बाजपेयी
(पांच)	स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग	श्रीमती प्रीति राय	श्री नरेश सिंधिया
			श्रीमती माया गुप्ता
			श्रीमती मनीषा तिवारी
			श्रीमती कामिनी चौधरी
			श्रीमती सुलक्षणा मर्सकोले
(छह)	योजना, यातायात, परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	श्रीमती प्रतिभा साहू	सुश्री पूर्णिमा धुर्वे
			श्री रामजी गायक
			श्रीमती ज्योति चौरसिया
			श्रीमती मनीषा तिवारी
			श्रीमती कामिनी चौधरी
(सात)	शहरी गरीबी उपशमन विभाग	श्री दिलीप नंदा	श्री नरेश सिंधिया
			सुश्री पूर्णिमा धुर्वे
			श्री मो;गनी
			श्रीमती माया गुप्ता
			श्री अनिल दुबे

1 कार्य -:

1. संबंधित विभाग के कार्यो बावद् सुझाव एवं अनुशंसा करना ।
2. परिषद् द्वारा नियमानुसार वेष्टित अधिकारों का उपयोग करना ।

अध्याय - नौ
प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका

1	श्री गजानन नाफडे	मु.न.पा.अधिकारी	मण्डला
2	श्री जयप्रकाश डेहरिया	उपयंत्री	छिंदवाड़ा
3	सुश्री एस.रूखसार अली	उपयंत्री	जबलपुर
4	श्री रामकुमार कछवाहा	स.ग्रेड 2	मंडला
5	श्री दिलीप सोनी	स.ग्रेड 2	मंडला
6	श्री दिनेश भारतीया	स.ग्रेड 2	मंडला
7	कु.सर्फनिन्शा खान	स.ग्रेड 2	मंडला
8	श्री कुलदीप भारतीया	स.ग्रेड 2	मंडला
9	श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर	स.ग्रेड 2	सतना
10	श्री गणेश मिश्रा	रा.उ.निरी.	मंडला
11	श्री जोरसिंह उइके	स.ग्रेड 3	मंडला
12	श्री सुभाष नंदा	स.ग्रेड 3	मंडला
13	श्री मनोज ताम्रकार	स.ग्रेड 3	मंडला
14	श्री संजयसिंह ठाकुर	स.ग्रेड 3	मंडला
15	कु.शारदा चौहान	स.ग्रेड 3	मंडला
16	श्री प्रकाश सिंह ठाकुर	स.ग्रेड 3	मंडला
17	श्री अजय वरकडे	स.ग्रेड 3	मंडला
18	श्री शहबाज अली	स.ग्रेड 3	मंडला
19	श्री शिवकुमार परते	स.ग्रेड 3	मंडला
20	श्री जगदीश रघुवंशी	स.ग्रेड 3	मंडला
21	श्री हेमंत श्रीवास	स.ग्रेड 3	मंडला
22	श्री यशवंत कोष्टा	स.ग्रेड 3	मंडला
23	श्री नितेश रघुवंशी	स.ग्रेड 3	मंडला
24	श्री संतोष उइके	स.ग्रेड 3	मंडला

25	श्री विजय कुमार बमनिया	स.ग्रेड 3	अलीराजपुर
26	श्री मनीष सिंगौर	स.ग्रेड 3	मंडला
27	श्री कृष्णकुमार साहू	रोकपाल	मंडला
28	श्री एस.सी.चौधरी	स्वा.पर्य.	मंडला
29	श्री किशोर बाजपेयी	स्वा.पर्य.	मंडला
30	श्री कमाल बेग	वेक्सीनेटर	मंडला
31	श्री संतोष भारतीया	समयपाल	मंडला
32	श्री राजकिशोर गुप्ता	समयपाल	मंडला
33	श्री श्यमकिशोर गुप्ता	समयपाल	मंडला
34	श्री डी.डी.कुमरे	व्याख्याता	मंडला
35	श्री रंजन लाहोरिया	स.रा.नि.	मंडला
36	श्रीमती प्रतिभा गुप्ता	स.रा.नि.	मंडला
37	श्रीमती रत्ना प्रधान	स.रा.नि.	सिवनी
38	श्री आनंद पांडे	स.रा.नि.	मंडला
39	श्री रामसिंह भारतीया	स.रा.नि.	मंडला
40	श्री संतोष भारतीया	स.रा.नि.	मंडला
41	श्री मनोहर चौहान	स.रा.नि.	मंडला
42	श्री कलीराम भारतीया	स.रा.नि.	मंडला
43	श्री धनसिंह भारतीया	स.रा.नि.	मंडला
44	श्री विनोद चुनवाने	स.रा.नि.	मंडला
45	श्री संतोष लाहोरी	स.रा.नि.	मंडला
46	श्री जगदीश भरोतिया	स.रा.नि.	मंडला
47	श्री संतोष बरमैया	मैके.फि.	मंडला

48	श्री बालेश्वर उइके	मैके.फि.	मंडला
49	श्री शिवकुमार कछवाहा	पंप अटें.	मंडला
50	श्री निरंजन पटेल	फि.अटें.	मंडला
51	श्री राजेन्द्र लाहोरिया	वा.चा.	मंडला
52	श्री ब्रजमोहन मरावी	वा.चा.	मंडला
53	श्री हरिशचंद्र भारतीया	वा.चा.	मंडला
54	श्री शेख अयाज	वा.चा.	मंडला
55	श्री सुरेन्द्र बर्मन	वा.चा. भा.	मंडला
56	श्री तुलसीदास मानिकपुरी	वा.चा. भा.	मंडला
57	श्री शुभ्रकांत रैकवार	वा.चा. भा.	मंडला
58	श्री विनोद झारिया	वा.चा. भा.	मंडला
59	श्री अनिल सोनी	वा.चा. ह.	मंडला
60	श्री घनश्याम यादव	लाइनमेन	मंडला
61	श्री मुकेश ठाकुर	फि.कुली	मंडला
62	विजय भरतीया	फि.कुली	मंडला
63	श्री मैकूलाल बरमैया	पंपकुली	मंडला
64	श्री मुलचंद सुरखिया	पंपकुली	मंडला
65	श्री बलराम सैयाम	फायरमेन	मंडला
66	श्री नरेश उपाध्याय	फायरमेन	मंडला
67	श्री सुरेश साहू	फायरमेन	मंडला
68	श्री रेवादास बैरागी (सोनवानी)	फायरमेन	मंडला
69	श्री इम्तियाज/इम्ताज अली	फायरमेन	मंडला
70	श्री रामसेवक पटेल	फायरमेन	मंडला

71	श्री राजेश तिवारी	भृत्य	मंडला
72	श्री राजेश नंदा	भृत्य	मंडला
73	श्री राकेश पटैल	भृत्य	मंडला
74	श्रीमती प्रेमबाई पटैल	भृत्य	मंडला
75	श्री प्रकाश नंदा	भृत्य	मंडला
76	श्री अनिल नंदा	भृत्य	मंडला
77	श्रीमती सुखवती भरोतिया	भृत्य	मंडला
78	श्रीमती दूजा भारतीया	भृत्य	मंडला
79	श्रीमती बुधवरिया भारतीया	भृत्य	मंडला
80	श्री यतेन्द्र कछवाहा	भृत्य	मंडला
81	श्री कृष्णशरण पटैल	भृत्य	मंडला
82	श्री कोदूलाल भारतीया	भृत्य	मंडला
83	श्री जियालाल भारतीया	भृत्य	मंडला
84	श्री ब्रजलाल भारतीया	भृत्य	मंडला
85	श्रीमती मनिया बाई परते	भृत्य	मंडला
86	श्री राजेश (रामसहाय) बैगा	भृत्य	मंडला
87	श्रीमती संगीता बैगा	भृत्य	मंडला
88	श्रीमती शहनाज बेगम	भृत्य	मंडला
89	श्रीमती सविता कछवाहा	भृत्य	मंडला
90	श्रीमती मेनका पटैल	भृत्य	मंडला
91	श्रीमती रजनी यादव	भृत्य	मंडला
92	श्री नंद किशोर रजक	भृत्य	मंडला
93	श्री मुन्लूल नंदा	भृत्य	मंडला

94	श्रीमती रेखा सेयाम	भृत्य	मंडला
95	श्रीमती सुनीता यादव	भृत्य	मंडला
96	श्री रतन सेठी	भृत्य	मंडला
97	श्री दुर्गेश सिंह परते	भृत्य	मंडला
98	श्री सुनीत पटेल	चौकीदार	मंडला
99	श्री पूरन	स. संरक्षक	मंडला
100	श्रीराम	स. संरक्षक	मंडला
101	श्री पप्पू	स. संरक्षक	मंडला
102	श्री बाबूराम	स. संरक्षक	मंडला
103	श्री राजेन्द्र	स. संरक्षक	मंडला
104	श्री लक्ष्मण	स. संरक्षक	मंडला
105	श्री रामकुमार	स. संरक्षक	मंडला
106	श्री सतीश	स. संरक्षक	मंडला
107	श्री आनंद	स. संरक्षक	मंडला
108	श्री राजेश	स. संरक्षक	मंडला
109	श्री दिनेश	स. संरक्षक	मंडला
110	श्री सुजीत	स. संरक्षक	मंडला
111	श्री मुकेश	स. संरक्षक	मंडला
112	श्री छुट्टन	स. संरक्षक	मंडला
113	श्री भरोषी	स. संरक्षक	मंडला
114	श्री राजकुमार	स. संरक्षक	मंडला
115	श्री घनश्याम	स. संरक्षक	मंडला
116	श्री शिव	स. संरक्षक	मंडला

117	श्री राजेंद्र	स.संरक्षक	मंडला
118	श्रीमती शिवकुमारी	स.संरक्षक	मंडला
119	श्रीमती बसंती	स.संरक्षक	मंडला
120	श्री ब्रम्हानंद	स.संरक्षक	मंडला
121	श्री मुन्ना	स.संरक्षक	मंडला
122	श्रीमती विमला	स.संरक्षक	मंडला
123	श्री सोमकुमार	स.संरक्षक	मंडला
124	श्री प्रेमलाल	स.संरक्षक	मंडला
125	श्रीमती मनीबाई	स.संरक्षक	मंडला
126	श्रीमती पूना बाई	स.संरक्षक	मंडला
127	श्रीमती जमना बाई	स.संरक्षक	मंडला
128	श्रीमती बीना बाई	स.संरक्षक	मंडला
129	श्री दीपक	स.संरक्षक	मंडला
130	श्रीमती मंजू	स.संरक्षक	मंडला
131	श्री आनंद	स.संरक्षक	मंडला
132	श्री कैलाश	स.संरक्षक	मंडला
133	श्री संजय	स.संरक्षक	मंडला
134	श्रीमती रेखा	स.संरक्षक	मंडला
135	श्रीमती तारा बाई	स.संरक्षक	मंडला
136	श्रीमती गीता बाई	स.संरक्षक	मंडला
137	श्री संजय/रज्जन	स.संरक्षक	मंडला
138	श्रीमती दुर्गा बाई	स.संरक्षक	मंडला
139	श्री सन्नी	स.संरक्षक	मंडला

140	श्री देवेन्द्र	स.संरक्षक	मंडला
141	श्रीमती रेशमा	स.संरक्षक	मंडला
142	श्री संतोष	स.संरक्षक	मंडला
143	श्री रवि	स.संरक्षक	मंडला
144	श्री प्रताप सिंह ठाकुर	स.संरक्षक	मंडला
145	श्री राजेश	स.संरक्षक	मंडला
146	श्री हेमंत दुबे	स.संरक्षक	मंडला
147	श्री नसीर खान	स.संरक्षक	मंडला
148	श्री कन्हैया पटैल	स.संरक्षक	मंडला
149	श्री अर्जुन	स.संरक्षक	मंडला
150	श्री अर्जुन झरिया	स.संरक्षक	मंडला
151	श्री इन्द्रकुमार सिंगौरे	स.संरक्षक	मंडला
152	श्री शशि	स.संरक्षक	मंडला
153	श्री लखन	स.संरक्षक	मंडला
154	श्री आनंद	स.संरक्षक	मंडला
155	श्री किशोर	स.संरक्षक	मंडला
156	श्री नन्हेलाल	स.संरक्षक	मंडला
157	श्री खुशालचंद गुप्ता	स.संरक्षक	मंडला
158	श्री शिवचरण तेकाम	स.ग्रेड 3	मंडला
159	श्री अभिनव कछवाहा	स.ग्रेड 3	मंडला
160	श्री शिवकुमार सोनी	रा.उ.निरी.	मंडला
161	श्री के.के.रजक	स्वच्छता निरीक्षक	मंडला
162	श्रीमती अन्नपूर्णा लाहोरिया	भृत्य	मंडला

163	श्रीमती कृष्णा लाहोरिया	भृत्य	मंडला
164	श्रीमती मिथेलश भारतीया	भृत्य	मंडला
165	श्रीमती विनीता बर्मन	भृत्य	मंडला
166	श्री सक्षम पाण्डे	चौकीदार	
मंडला			
167	श्री चैनसिंह	भृत्य	
मंडला			

अध्याय - दस

परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका

पत्रक मासिक पारिश्रमिक जो प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है, तथा उसके विनियमों में उप-बंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे प्रतिकर की पद्धति ।

अ.क्र. नाम अधिकारी/ पद मासिक विनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति

Employee Number	Name	Designation	Pay Band Pay	Grade Pay	Dearness Allowance	House Rent Allowance	Medical Allowance	GPF	NPS Deduction.	Total Earnings	Total Deductions	Netpay
12200060	MANISH KUMAR SINGOUR	Sahayak Grade -3	24000	0	8160	305	36	0	3216	32501	3582	28919
12600044	Nitesh Raghuwanshi	Sahayak Grade -3	22600	0	7684	264	36	0	9263	92935	9588	83347
16500093	Shivcharan Tekam	Sahayak Grade -3	21300	0	7242	249	36	0	2998	30267	3364	26903
42500038	PRAVEEN KUMAR THAKUR	Sub Engineer -Civil	40300	0	13702	0	36	0	5400	54038	6333	47705
42700090	Santosh Kumar Uikey	Sahayak Grade -3	26200	0	8908	0	36	0	3511	35144	4402	30742
44000099	Gajanan Naphade	CMO	33080	5400	78114	0	0	10000	0	116594	17133	99461
47100007	K.K. Rajak	Sanitary Inspector	54900	0	18666	0	36	20000	0	147404	21866	125538
47400004	RAMKUMAR KACHHWAHA	Sahayak Grade -2	42000	0	14280	486	36	12000	0	56802	12408	44394
47400005	DILIP KUMAR SONI	Sahayak Grade -2	42000	0	14280	483	36	14000	0	56799	15408	41391
47400006	DINESH KUMAR BHARTIYA	Sahayak Grade -2	34100	0	11594	0	36	0	4569	45730	5502	40228
47400007	SARFUNNISHA KHAN	Sahayak Grade -2	40800	0	13872	480	36	7000	0	55188	9408	45780

47400009	KULDEEP BHARTIYA	Sahayak Grade -2	34100	0	11594	387	36	0	0	46117	408	45709
47400011	SHIV KUMAR SONI	D. Revenue Inspector	41100	0	13974	217	36	12000	0	55327	12408	42919
47400012	GANESH MISHRA	D. Revenue Inspector	39900	0	13566	461	36	6000	0	54013	6408	47605
47400014	SURENDRA SINGH THAKUR	Sahayak Grade -2	41100	0	13974	0	36	6000	0	55110	6933	48177
47400015	JOR SINGH UIKEY	Sahayak Grade -3	34200	0	11628	393	36	5000	0	46257	5408	40849
47400016	SUBHASH KUMAR NANDA	Sahayak Grade -3	36200	0	12308	412	36	5000	0	48956	5408	43548
47400017	MANOJ KUMAR TAMRAKAR	Sahayak Grade -3	32200	0	10948	385	36	4000	0	43569	4408	39161
47400018	SANJAY SINGH THAKUR	Sahayak Grade -3	31300	0	9703	0	36	4000	0	41039	4933	36106
47400019	SHARDA CHOUHAN	Sahayak Grade -3	21900	0	7446	281	36	0	2945	29663	3311	26352
47400020	PRAKASH SINGH THAKUR	Sahayak Grade -3	25400	0	8636	0	36	0	3404	34072	4295	29777
47400021	AJAY KUMAR WARKADE	Sahayak Grade -3	22600	0	7684	264	36	0	3028	30584	3394	27190
47400022	SHAHBAAJ ALI	Sahayak Grade -3	21300	0	7242	242	36	0	2854	28820	3179	25641
47400023	SHIV KUMAR PARTE	Sahayak Grade -3	20700	0	7038	0	36	0	2774	27774	3099	24675
47400024	JANGDESH PRASAD RAGUVANSHI	Sahayak Grade -3	25400	0	8636	297	36	0	3404	34369	3770	30599
47400025	HEMANT KUMAR SHRIVAS	Sahayak Grade -3	23300	0	7922	272	36	0	3122	31530	3488	28042
47400026	YASVANT KOSTA	Sahayak Grade -3	23300	0	7922	272	36	0	3122	31530	3488	28042
47400027	KRISHAN KUMAR SAHU	Cashier	23300	0	7922	272	36	0	3122	31530	3488	28042
47400028	SYAMACHARAN CHOUDHARY	Sanitary Supervisor	40800	0	13872	476	36	6500	0	55234	8908	46326
47400029	KISHOR BAJPAI	Sanitary Supervisor	23300	0	7922	272	36	0	3122	31530	3488	28042
47400030	KAMAL BEG	VACCINATOR	28600	0	9724	325	36	0	3832	38835	4198	34637
47400031	SANTOSH BHARTIYA	Time Keeper	30400	0	10336	0	36	0	4074	40822	5007	35815
47400032	RAJKISHOR GUPTA	Time Keeper	23300	0	7922	299	36	0	3122	31557	3488	28069

47400033	DEENDAYAL KUMRE	Assistant Teacher	24180	3600	56393	762	36	10000	0	84971	10408	74563
47400034	RANJAN KUMAR LOHORIYA	A. Revenue Inspector	41100	0	13974	466	36	6500	0	55626	6908	48718
47400035	PRATIBHA GUPTA	A. Revenue Inspector	39900	0	13568	461	36	7000	0	53965	7408	46557
47400036	RATNA PRADHAN	A. Revenue Inspector	23890	0	8123	0	27	0	3201	32077	4134	27943
47400038	ANAND PANDEY	A. Revenue Inspector	37600	0	12784	430	36	8000	0	50900	8408	42492
47400039	RAM SINGH BHARTIYA	A. Revenue Inspector	29500	0	10030	335	36	0	3953	39951	4319	35632
47400040	SANTOSH KUMAR BHARTIYA	A. Revenue Inspector	29500	0	10030	335	36	0	3953	39951	4319	35632
47400042	MANOHAR CHOUHAN	A. Revenue Inspector	37400	0	12716	424	36	5900	0	50626	8308	42318
47400043	KALIRAM BHARTIYA	A. Revenue Inspector	29500	0	10030	0	36	4700	0	39616	7633	31983
47400044	DHANSINGH BHARTIYA	A. Revenue Inspector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47400045	VINOD KUMAR CHUNWANE	A. Revenue Inspector	33200	0	11288	386	36	5300	0	44960	5708	39252
47400046	SANTOSH KUMAR LOHORIYA	A. Revenue Inspector	28600	0	9724	336	36	4000	0	38746	5366	33380
47400047	JAGDESH PRASAD BHRONTIYA	A. Revenue Inspector	25400	0	8636	0	36	0	3404	34122	3812	30310
47400048	SANTOSH KUMAR BARMAIYA	MAKENIK FILTER	42300	0	14382	502	36	7000	0	57220	7408	49812
47400049	BALESHAWAR PRASAD UIKEY	MAKENIK FILTER	24700	0	8398	289	36	0	3310	33423	3676	29747
47400050	SHIV KUMAR KACHHWAHA	Pump Attendant	28600	0	9724	325	36	0	3832	38685	4198	34487
47400051	NIRANJAN PATEL	Filter Operator	28600	0	9724	325	36	0	3832	38685	4198	34487
47400052	SHYAM KISHOR SHUKLA	Time Keeper	23300	0	7922	272	36	0	3122	31530	3488	28042
47400053	RAJENDRA PRASAD LOHORIYA	Driver (HMTV)	38500	0	13090	466	36	5200	0	52142	9981	42161
47400054	SHUBHRA KANT REKWAR	Driver (HMTV)	26400	0	8976	309	36	0	3538	35771	3904	31867
47400056	SURENDRA BARMAN	Driver (HMTV)	26400	0	8976	309	36	0	3538	35771	3904	31867

47400057	TULSI DAS MANIKPURI	Driver (HMT)	26400	0	8976	309	36	0	3538	35771	3904	31867
47400059	BRAJMOHAN MARAVI	Driver (HMT)	34200	0	11628	0	36	5400	0	45914	9333	36581
47400060	HARISH CHANDRA BHARTIYA	Driver (HMT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47400061	SHEIKHA AYAZ	Driver (HMT)	28600	0	9724	325	36	0	3832	38735	4198	34537
47400062	ANIL KUMAR SONI	Driver (LMT)	23300	0	7922	272	36	0	3122	31580	3488	28092
47400064	GHANSYAM PRASAD YADEV	Lineman	33400	0	11356	385	36	5300	0	45227	7608	37619
47400066	MUKESH KUMAR THAKUR	FILTER MAJDOOR	35400	0	12036	381	36	5600	0	47903	5908	41995
47400067	VIJAY KUMAR BHARTIYA	FILTER MAJDOOR	28200	0	9588	317	36	4500	0	38191	4766	33425
47400068	MAIKU LAL BARMIA	Pump Coolie	17361	0	5903	207	21	4700	0	23521	7008	16513
47400069	MOOLCHAND SURAKIYA	Pump Coolie	20300	0	6902	231	36	0	2720	27519	2945	24574
47400072	BALRAM SAIYAM	Fire Men	20400	0	6936	246	36	0	2734	27668	2959	24709
47400073	SURESH SHAHU	Fire Men	19200	0	6528	224	36	0	2573	26038	2798	23240
47400075	NARESH UPADHAYAY	Fire Men	19200	0	6528	225	36	0	2573	34785	2798	31987
47400079	RAJESH TIWARI	Bhritya	35400	0	12036	404	36	5600	0	47926	5908	42018
47400082	RAJESH KUMAR NANDA	Bhritya	31700	0	10778	321	36	5000	0	42885	5308	37577
47400083	RAKESH KUMAR PATEL	Bhritya	30800	0	10472	357	36	5000	0	41715	5308	36407
47400085	PRAM BAI PATEL	Bhritya	30800	0	10472	357	36	5000	0	41715	8308	33407
47400086	PRAKASH KUMAR NANDA	Bhritya	30800	0	10472	310	36	5000	0	41668	8308	33360
47400087	ANIL KUMAR NANDA	Bhritya	31700	0	10778	379	36	5000	0	42943	5308	37635
47400090	SUKHAWATI BHARONTIYA	Bhritya	28200	0	9588	0	36	6500	0	37874	8291	29583
47400091	DUJA BHARTIYA	Bhritya	13645	0	4639	157	17	4500	0	18482	5766	12716
47400093	BUDHAWARIYA BHARTIYA	Bhritya	28200	0	9588	0	36	4500	0	37874	8125	29749

47400095	YATENDRA KACHHWAHA	Bhritya	24900	0	8466	285	36	0	3337	33737	3437	30300
47400097	KRISHNSHARAN PATEL	Bhritya	23500	0	7990	269	36	0	3149	31845	3249	28596
47400098	KODU LAL BHARTIYA	Bhritya	23500	0	7990	269	36	0	3149	31845	3249	28596
47400099	JIYALAL BHARTIYA	Bhritya	17174	0	5839	197	26	0	2301	23271	2567	20704
47400100	BRAJ LAL MARAVI	Bhritya	23500	0	7990	269	36	0	2946	31845	3212	28633
47400101	MANIYA BAI PARTE	Bhritya	24200	0	8228	0	36	0	3243	32514	4034	28480
47400105	RAJESH [RAMSAHAY] BAIGA	Bhritya	16371	0	5566	186	29	0	2194	22192	2419	19773
47400108	SANGITA BAIGA	Bhritya	20300	0	6902	231	36	0	2720	27519	2945	24574
47400109	SHAHNAAZ BEGAM	Bhritya	19700	0	6698	224	36	0	2639	26708	2864	23844
47400110	SAVITA KACHHWAHA	Bhritya	19700	0	6698	224	36	0	2639	26708	2864	23844
47400111	SUNEEL PATEL	Chowkidaar	18500	0	6290	217	36	0	2479	25093	2704	22389
47400113	POORAN PAROCHIYA	Sanitory Sanrakshak	35400	0	12036	425	36	5700	0	47947	8008	39939
47400114	SHRIRAM SEHIYA	Sanitory Sanrakshak	31245	0	10623	359	34	5400	0	42308	5673	36635
47400115	PAPPU BALMIK	Sanitory Sanrakshak	35400	0	12036	410	36	5700	0	47932	6008	41924
47400116	BABURAM GOHORIYA	Sanitory Sanrakshak	34400	0	11696	410	36	5600	0	46592	7908	38684
47400118	RAJENDRA CHOUHAN	Sanitory Sanrakshak	36500	0	12410	416	36	5900	0	49412	6208	43204
47400119	LAXMAN LOHORIYA	Sanitory Sanrakshak	36500	0	12410	416	36	0	0	49412	1308	48104
47400120	RAMKUMAR LOHORIYA	Sanitory Sanrakshak	36500	0	12410	416	36	0	0	49412	2308	47104
47400123	SATISH DHOLPURIYA	Sanitory Sanrakshak	31245	0	10623	363	34	5400	0	42312	7708	34604
47400124	ANAND KAHRE	Sanitory Sanrakshak	31500	0	10710	360	36	4700	0	42656	6966	35690
47400125	RAJESH GODRE	Sanitory Sanrakshak	31700	0	10778	368	36	5100	0	42932	7366	35566
47400126	DINESH DHOLPURIYA	Sanitory	29806	0	10134	345	35	5000	0	40368	7266	33102

		Sanrakshak										
47400127	SUJEET KOROSIYA	Sanitory Sanrakshak	29806	0	10134	345	35	5000	0	40368	7308	33060
47400128	MUKESH BALMIK	Sanitory Sanrakshak	30600	0	10404	353	36	5000	0	41443	6308	35135
47400129	CHUTTAN LOHORIYA	Sanitory Sanrakshak	30600	0	10404	354	36	5000	0	41444	5308	36136
47400130	BHAROSHI LOHORIYA	Sanitory Sanrakshak	30677	0	10430	356	35	5000	0	41546	10160	31386
47400131	RAJKUMAR LOHORIYA	Sanitory Sanrakshak	31700	0	10778	368	36	5000	0	42932	5308	37624
47400132	GHANSYAM GHENSRE	Sanitory Sanrakshak	31700	0	10778	388	36	5500	0	42952	5808	37144
47400134	SHIV DHOLPURIYA	Sanitory Sanrakshak	31700	0	10778	368	36	5000	0	42932	5308	37624
47400137	RAJENDRA KAHRE	Sanitory Sanrakshak	29655	0	10083	336	34	5000	0	40155	7308	32847
47400141	SHIVKUMARI LOHORIYA	Sanitory Sanrakshak	36500	0	12410	416	36	0	0	49412	2308	47104
47400152	BRAMMHANAND CHOUHAN	Sanitory Sanrakshak	29806	0	10134	337	35	5000	0	40360	5308	35052
47400153	MUNNA BALMIK	Sanitory Sanrakshak	30800	0	10472	352	36	5000	0	41710	6308	35402
47400154	VIMLA BAI CHOUHAN	Sanitory Sanrakshak	29806	0	10134	345	35	5000	0	40368	6308	34060
47400155	Som Kumar	Sanitory Sanrakshak	29900	0	10166	353	36	4700	0	40505	7008	33497
47400157	PRAMLAL Gahoriya	Sanitory Sanrakshak	30800	0	10472	357	36	4900	0	41715	7208	34507
47400159	MANIBAI GUHERA	Sanitory Sanrakshak	29900	0	10166	347	36	4700	0	48598	6974	41624
47400160	PUNA BAI DHOLPURIYA	Sanitory Sanrakshak	28200	0	9588	327	36	4500	0	38201	4766	33435
47400162	JAMNA BAI CHOUHAN	Sanitory Sanrakshak	28200	0	9588	327	36	4500	0	38201	4766	33435
47400163	BEENA BAI	Sanitory Sanrakshak	28200	0	9588	327	36	4500	0	38201	4766	33435
47400164	DEEPAK BALMIK	Sanitory Sanrakshak	26381	0	8969	306	34	4500	0	35737	5766	29971
47400165	MANJU LOHORIYA	Sanitory Sanrakshak	27200	0	9248	308	36	4300	0	44211	6566	37645

47400166	ANAND KOROSIYA	Sanitory Sanrakshak	26400	0	8976	303	36	0	3538	35765	3804	31961
47400167	KAILASH NAHAR	Sanitory Sanrakshak	24900	0	8466	278	36	0	3337	33730	3603	30127
47400168	SANJAY GANSRE	Sanitory Sanrakshak	20884	0	7101	233	30	0	2799	28290	3065	25225
47400169	REKHA LOHORIYA	Sanitory Sanrakshak	24200	0	8228	270	36	0	3243	32784	3509	29275
47400171	TARA BAI KOROSIYA	Sanitory Sanrakshak	24200	0	8228	293	36	0	3243	32807	3509	29298
47400172	GEETA BAI SEHIYA	Sanitory Sanrakshak	24200	0	8228	270	36	0	3243	32784	3509	29275
47400173	SANJAY LOHORIYA	Sanitory Sanrakshak	22742	0	7732	254	35	0	3047	30811	3313	27498
47400174	DURGA BAI LAHORIYA	Sanitory Sanrakshak	23500	0	7990	269	36	0	3149	31845	3415	28430
47400175	SANNI GOHRE	Sanitory Sanrakshak	23500	0	7990	262	36	0	3149	31838	3415	28423
47400176	DEVENDRA DHOLPURIYA	Sanitory Sanrakshak	22800	0	7752	261	36	0	3055	30899	3321	27578
47400177	RESHAMA SANKAR	Sanitory Sanrakshak	22800	0	7752	261	36	0	3055	30899	3321	27578
47400178	SANTOSH KAHRE	Sanitory Sanrakshak	22800	0	7752	261	36	0	3055	30899	3321	27578
47400179	RAVI DHOLPURIYA	Sanitory Sanrakshak	22800	0	7752	261	36	0	3055	30899	3321	27578
47400180	PRATAAP SINGH THAKUR	Sanitory Sanrakshak	22800	0	7752	261	36	0	3055	30899	3321	27578
47400181	RAJESH THAKUR	Sanitory Sanrakshak	22800	0	7752	261	36	0	3055	30899	3321	27578
47400182	HEMANT DUBEY	Sanitory Sanrakshak	22800	0	7752	261	36	0	3055	30899	3321	27578
47400183	NASEER KHAN	Sanitory Sanrakshak	22800	0	7752	261	36	0	3055	30899	3321	27578
47400184	KANHAIYA PATEL	Sanitory Sanrakshak	22800	0	7752	0	36	0	3055	30638	3846	26792
47400185	ARJUN KOROSIYA	Sanitory Sanrakshak	22800	0	7752	261	36	0	3055	30899	3321	27578
47400186	ARJUN JHARIYA	Sanitory Sanrakshak	22800	0	7752	261	36	0	3055	30899	3321	27578
47400189	SHASHSI DHOLPURIYA	Sanitory Sanrakshak	22800	0	7752	261	36	0	3055	30899	3321	27578

47400190	LAKHAN DHOLPURIYA	Sanitory Sanrakshak	19123	0	6502	219	30	0	2562	25916	2828	23088
47400191	ANAND DHOLPURIYA	Sanitory Sanrakshak	22800	0	7752	261	36	0	3055	30899	3321	27578
47400192	KISHOR CHOUHAN	Sanitory Sanrakshak	16916	0	5751	194	27	0	2267	22925	2533	20392
47400193	NANNHAE KOROSIYA	Sanitory Sanrakshak	22800	0	7752	261	36	0	3055	30899	3321	27578
47400195	MUNNU NANDA	Bhritya	18000	0	6120	211	36	0	2412	24417	2512	21905
47400196	NAND KISHOR RAJAK	Bhritya	18000	0	6120	217	36	0	2412	24423	2637	21786
47400197	RAJNI YADEV	Bhritya	18000	0	6120	211	36	0	2412	24367	2637	21730
47400200	IMTIYAZ/IMTAZ ALI	Fire Men	18600	0	6324	218	36	0	2492	25178	2717	22461
47400201	REVA DAS BAIRAGI [SONWANI]	Fire Men	18581	0	6317	218	35	0	3403	34680	3503	31177
47400202	VINOD JHARIYA	Driver (HMT)	25600	0	8704	300	36	0	3430	34640	3796	30844
47400204	MENKA PATEL	Bhritya	18000	0	6120	211	36	0	2412	24367	2637	21730
47400208	JAYPRAKASH DEHARIYA	Sub Engineer -Civil	40300	0	13702	0	0	0	5400	54002	6333	47669
47400210	S.Rukhsar Ali	Sup Engineer -Civil	36900	0	12546	386	36	0	4945	49868	5353	44515
47400212	Rekha Saiyam	Bhritya	16371	0	5566	191	0	0	2194	22128	2419	19709
47400214	Khushal Gupta	Sanitory Sanrakshak	17500	0	5950	187	36	0	2345	23723	2611	21112
47400215	Sunita Yadev	Bhritya	17500	0	5950	204	0	0	2345	23654	2570	21084
47400216	Ratan Sethi	Bhritya	17500	0	5950	204	0	0	2345	23654	2570	21084
47400217	Durgesh Kumar Parte	Bhritya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47400219	Pappu Naher	Unskilled	5680	0	11530	0	0	0	0	17210	0	17210
47400220	Rakesh Dholpuriya	Unskilled	5680	0	11530	0	0	0	0	17210	0	17210
47400221	Ajay Lahoriya	Unskilled	5680	0	11530	0	0	0	0	17210	0	17210
47400222	Mukesh Gahora	Unskilled	5497	0	11158	0	0	0	0	16655	0	16655

47400223	Sanjay Baggha	Unskilled	5680	0	11530	0	0	0	0	17210	0	17210
47400224	Shyam Balmeek	Unskilled	5680	0	11530	0	0	0	0	17210	0	17210
47400226	Manoj Krosiya	Unskilled	5680	0	11530	0	0	0	0	17210	0	17210
47400227	Surendra Lahoriya	Unskilled	4764	0	9670	0	0	0	0	14434	0	14434
47400228	Rakesh Krosiya	Unskilled	4397	0	8926	0	0	0	0	13323	0	13323
47400229	Mahesh Balmeek	Unskilled	5680	0	11530	0	0	0	0	17210	0	17210
47400230	Budhhu Dadel	Unskilled	5600	0	11368	0	0	0	0	16968	0	16968
47400231	Ramkesh Gahora	Unskilled	4335	0	8801	0	0	0	0	13136	0	13136
47400232	Susheel Chouhan	Unskilled	5600	0	11368	0	0	0	0	16968	0	16968
47400233	Lokesh Lahoriya	Unskilled	5600	0	11368	0	0	0	0	16968	0	16968
47400234	Suneel Lahoriya	Unskilled	4516	0	9168	0	0	0	0	13684	0	13684
47400235	Santosh Chouhan	Unskilled	4697	0	9534	0	0	0	0	14231	0	14231
47400237	Pramod Lahoriya	Unskilled	5419	0	11001	0	0	0	0	16420	0	16420
47400238	Rajkumari Daghor	Unskilled	4986	0	10122	0	0	0	0	15108	0	15108
47400239	Durga Sehiya	Unskilled	5520	0	11206	0	0	0	0	16726	0	16726
47400240	Manoher Krosiya	Unskilled	5520	0	11206	0	0	0	0	16726	0	16726
47400241	Tulsi Baggha	Unskilled	5164	0	10483	0	0	0	0	15647	0	15647
47400242	Gorabai Dagour	Unskilled	5280	0	10718	0	0	0	0	15998	0	15998
47400243	Sharda Chabriya	Unskilled	5280	0	10718	0	0	0	0	15998	0	15998
47400244	Sudha JhanJhot	Unskilled	5110	0	10372	0	0	0	0	15482	0	15482
47400245	Anita Kharare	Unskilled	5110	0	10372	0	0	0	0	15482	0	15482
47400246	Mamta Morya	Unskilled	5280	0	10718	0	0	0	0	15998	0	15998

47400247	Krishna Bhora	Unskilled	5110	0	10372	0	0	0	0	15482	0	15482
47400248	Meena Gahora	Unskilled	5280	0	10718	0	0	0	0	15998	0	15998
47400249	Manju Lahoriya	Unskilled	5280	0	10718	0	0	0	0	15998	0	15998
47400251	Ravi Tikoriya	Unskilled	5200	0	10556	0	0	0	0	15756	0	15756
47400252	Ashabai Chouhan	Unskilled	5200	0	10556	0	0	0	0	15756	0	15756
47400253	Prahalad Lahori	Unskilled	4529	0	9194	0	0	0	0	13723	0	13723
47400254	Nrendra Lahori	Unskilled	5200	0	10556	0	0	0	0	15756	0	15756
47400255	Vikash Gharu	Unskilled	5032	0	10215	0	0	0	0	15247	0	15247
47400256	Satish Balmik	Unskilled	5200	0	10556	0	0	0	0	15756	0	15756
47400257	Amit Chunwane	Unskilled	4790	0	9723	0	0	0	0	14513	0	14513
47400258	Hemant Lahoriya	Unskilled	4955	0	10059	0	0	0	0	15014	0	15014
47400259	Manish Daghor	Unskilled	3468	0	7041	0	0	0	0	10509	0	10509
47400260	Komal Tikoriya	Unskilled	5120	0	10394	0	0	0	0	15514	0	15514
47400261	Neetu Katariya	Unskilled	5120	0	10394	0	0	0	0	15514	0	15514
47400262	Kavita Tikoriya	Unskilled	5120	0	10394	0	0	0	0	15514	0	15514
47400263	Poonam Khare	Unskilled	5120	0	10394	0	0	0	0	15514	0	15514
47400264	Sangita Nahar	Unskilled	5120	0	10394	0	0	0	0	15514	0	15514
47400265	Virendra Gharu	Unskilled	5040	0	10231	0	0	0	0	15271	0	15271
47400266	Sarla Chouhan	Unskilled	5110	0	10372	0	0	0	0	15482	0	15482
47400267	Archana Krosiya	Unskilled	5040	0	10231	0	0	0	0	15271	0	15271
47400268	Laxman Gansre	Unskilled	5040	0	10231	0	0	0	0	15271	0	15271
47400269	Pawan Lahoriya	Unskilled	5040	0	10231	0	0	0	0	15271	0	15271

47400270	Sandeep Chouhan	Unskilled	4390	0	8911	0	0	0	0	13301	0	13301
47400271	Sandeep Daghor	Unskilled	5040	0	10231	0	0	0	0	15271	0	15271
47400272	Khamiya bai Uikey	Unskilled	6000	0	12180	0	0	0	0	18180	0	18180
47400276	Muniya Bai	Unskilled	6640	0	13479	0	0	0	0	20119	0	20119
47400277	Dhaniya Bai	Unskilled	6640	0	13479	0	0	0	0	40238	0	40238
47400278	Bhrtu lal	Unskilled	6640	0	13479	0	0	0	0	20119	0	20119
47400279	Phool Chand	Semi Skilled	7470	0	15164	0	0	0	0	22634	0	22634
47400280	Bhura Perte	Semi Skilled	7229	0	14675	0	0	0	0	21904	0	21904
47400282	Sangita Maravi	Unskilled	6560	0	13317	0	0	0	0	19877	0	19877
47400284	Khujjo Bai	Unskilled	6480	0	13154	0	0	0	0	19634	0	19634
47400285	Sukwaro Bai	Unskilled	6480	0	13154	0	0	0	0	19634	0	19634
47400286	Bajari lal	Unskilled	6194	0	12573	0	0	0	0	18767	0	18767
47400287	Sunita Bai	Unskilled	6400	0	12992	0	0	0	0	19392	0	19392
47400288	Chitra Kali	Unskilled	6320	0	12830	0	0	0	0	19150	0	19150
47400289	Krishna Bai	Unskilled	6000	0	12180	0	0	0	0	18180	0	18180
47400290	Pursottam Nanda	Semi Skilled	6750	0	13702	0	0	0	0	20452	0	20452
47400291	Ramesh Yadev	Semi Skilled	6750	0	13702	0	0	0	0	20452	0	20452
47400292	Ravi Kumar	Semi Skilled	6760	0	13723	0	0	0	0	20483	0	20483
47400293	Jhunna lal	Semi Skilled	6750	0	13702	0	0	0	0	20452	0	20452
47400295	Durga Bai	Unskilled	5920	0	12018	0	0	0	0	17938	0	17938
47400296	Anand Kumar	Unskilled	5920	0	12018	0	0	0	0	17938	0	17938
47400297	Guliram Uikey	Unskilled	5840	0	11855	0	0	0	0	17695	0	17695

47400298	Rangiya Bai	Unskilled	5652	0	11473	0	0	0	0	17125	0	17125
47400299	Ajay Gharu	Skilled	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47400300	Radha Bai	Unskilled	5840	0	11855	0	0	0	0	17695	0	17695
47400301	Pati ram	Semi Skilled	6480	0	13154	0	0	0	0	19634	0	19634
47400302	Rajjan lal	Semi Skilled	6480	0	13154	0	0	0	0	19634	0	19634
47400303	Manoj Bohat	Skilled	7200	0	14616	0	0	0	0	21816	0	21816
47400304	Lal man	Semi Skilled	6184	0	12554	0	0	0	0	18738	0	18738
47400305	Choti Bai	Unskilled	5680	0	11530	0	0	0	0	17210	0	17210
47400306	Hem Chand	Semi Skilled	6300	0	12789	0	0	0	0	19089	0	19089
47400307	Madho Singh	Unskilled	5600	0	11368	0	0	0	0	16968	0	16968
47400308	Sar syam	Unskilled	5600	0	11368	0	0	0	0	16968	0	16968
47400309	Balram Jhariya	Semi Skilled	6210	0	12606	0	0	0	0	18816	0	18816
47400310	Vishnu lal	Semi Skilled	6210	0	12606	0	0	0	0	18816	0	18816
47400312	Satish Yadav	Semi Skilled	6120	0	12424	0	0	0	0	18544	0	18544
47400313	Chandrakant Deshraj	Skilled	6800	0	13804	0	0	0	0	20604	0	20604
47400314	Rakesh Daghor	Skilled	6700	0	13601	0	0	0	0	27067	0	27067
47400315	Arun Patel	Skilled	6700	0	13601	0	0	0	0	20301	0	20301
47400317	Devchand Yadev	Semi Skilled	5174	0	10502	0	0	0	0	22875	0	22875
47400318	Rajendra Janghela	Semi Skilled	5940	0	12058	0	0	0	0	17998	0	17998
47400319	Sant Kumar	Unskilled	5280	0	10718	0	0	0	0	15998	0	15998
47400320	Yogendra Tiwari	Skilled	6600	0	13398	0	0	0	0	19998	0	19998
47400321	Baisakhu Saiyam	Skilled	5961	0	12101	0	0	0	0	26061	0	26061

47400322	Rewaram Patel	Unskilled	5200	0	10556	0	0	0	0	21007	0	21007
47400326	Vijay Kumar Bamniya	Sahayak Grade -3	21300	0	7242	249	36	0	6203	62313	6528	55785
47400327	KRISHNA BAI LAHORIYA	Bhritya	15500	0	5270	172	36	0	2077	20978	2302	18676
47400328	ANNPURNA BAI LAHORIYA	Bhritya	15500	0	5270	172	36	0	2077	20978	2302	18676
47400329	Abhinav Kachhwaha	Clerk	15600	0	5304	0	36	0	2090	20940	2815	18125
47400330	Saksham Pandey	Chowkidaar	10850	0	3689	121	0	0	1454	14660	1554	13106
47400331	Mithlesh Bhartiya	Bhritya	10850	0	3689	121	0	0	1454	14660	1554	13106
47400332	Chansingh Masram	Bhritya	10850	0	3689	121	0	0	1454	14660	1554	13106
47400333	Vinita Nanda Barman	Bhritya	10850	0	3689	121	0	0	1454	14660	1554	13106
0	Total		4896978	9000	2658928	43635	5412	387300	291610	7871471	81485 9	705661 2

अध्याय - ग्यारह

□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□ (□.□□□□.)

□□□□□□□ □□□□ 2022-23 □□□

(□□□□ □□□□□ □□□ □□□□)

□□□.	□□□□□ □□□□ □□□□□	□□□	□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ 20-21)	□□□□□□□□ □□ (□□□□ 20-21)	□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ (□□□□ 21-22)	□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ (□□□□ 21- 22)	31 □□□□□□□□ 2021 □□ □□□□□□□□ □□	□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ (□□□□ 23)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	□□□□□□ □□	1100000 □□ 1800000 □□	2877.36	1199.99	2861.11	2861.11	1113.53	2862
2	□□□□□□ □□□□	2100000 □□ 2900000 □□	2595.60	1553.73	2417.45	2417.45	1089.85	2748
3	□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□/ (□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□) (1-2)		286.76	-353.74	443.66	443.66	23.68	114
4	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	3200000 □□ 3410000 □□	19660.50	2149.98	11821.50	11821.50	1095.98	15875
5	□□□□□□□□ □□□□	4200000 □□ 4800000 □□	19879.00	1704.65	12255.00	12255.00	1110.09	15980
6	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ (□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ (4-5)		-218.50	445.33	-433.50	-433.50	-14.11	-104
7	□□□□□□ □□□□□□□/□□□□ (3+6)		68.26	91.59	10.16	10.16	9.57	10

1	(□□□□□□ + □□□□□□) □□□ □□	22537.86	3349.97	14682.61	14682.61	2209.51	18738
2	(□□□□□□ + □□□□□□) □□□ □□□□	22474.60	3258.38	14672.45	14672.45	2199.94	18728
3	□□□□□ □□□□□□/□□□□ (1+2)	68.26	91.59	10.16	10.16	9.57	10

□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□ (□.□□□□.)

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□ □□□□ 2022-23

(□□□□□ □□□□□ □□□ □□□)

□□□□.	□□□□□□ □□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ 20-21)	□□□□□□□□□□ □□ (□□□□ 20-21)	□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ (□□□□□ 21- 22)	□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ (□□□□□ 21-22)	31 □□□□□□□□□□ 2021 □□ □□□□□□□□□□ □□	□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ (□□□□□ 22-23)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	□□□□□□□ □□		2877.36	1199.99	2861.11	2861.11	1113.53	2862
	□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□	1100000	357.22	150.23	259.43	259.43	90.15	297
	□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□	1200000	1607.00	821.33	1660.00	1660.00	727.04	1680
	□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□	1300000	125.15	66.29	151.73	151.73	45.27	160
	□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□	1400000	177.99	33.28	250.45	250.45	27.07	289
	□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□	1500000	29.50	2.41	15.50	15.50	4.26	28

	□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□ □□□□□□□	1600000	326.00	2.30	269.50	269.50	12.00	202
	□□□□□□ □□□□□	1700000	33.00	10.74	33.00	33.00	11.97	43
	□□□□ □□	1800000	221.50	113.41	221.50	221.50	195.77	162
□□□ □□□ :-			2877.36	1199.99	2861.11	2861.11	1113.53	2862
2	□□□□□□ □□□□		2590.60	1553.73	2417.45	2417.45	1089.85	2748
	□□□□□□□□ □□□□	2100000	1373.00	1027.27	1414.50	1414.50	772.24	1547
	□□□□□□□□□□ □□□□	2200000	289.10	61.68	249.85	249.85	39.38	399
	□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□	2300000	676.00	398.52	580.60	580.60	250.94	651
	□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□	2400000	9.00	0.03	8.00	8.00	0.00	8
	□□□□□□□□□□ □□□□	2500000	11.50	0.25	9.50	9.50	0.48	12
	□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□	2600000	232.00	65.98	155.00	155.00	26.81	131
□□□ □□□ :-			2590.60	1553.73	2417.45	2417.45	1089.85	2748
3	□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□/□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ (1-2)		286.76	-353.74	443.66	443.66	23.68	114
4	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□		19660.50	2149.98	11821.50	11821.50	1095.98	15875
	□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□	3200000	19130.50	2102.54	7411.50	7411.50	1023.92	11375
	□□□□□□□□□□□□ □□	3300000	50.00	0.00	200.00	200.00	0.00	150
	□□□□□□□□□□□□□ □□	3310000	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100
	□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□	3410000	430.00	47.44	4160.00	4160.00	72.06	4250
□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ :-			19660.50	2149.98	11821.50	11821.50	1095.98	15875

5	□□□□□□ □□□□		19879.00	1704.65	12255.00	12255.00	1110.09	15980
	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□	4120000	19489.00	1532.18	11868.00	11868.00	993.48	15640
	□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	4600000	60.00	17.31	60.00	60.00	18.69	50
	□□, □□□□□□ □□□ □□□□□□□□	4600000	330.00	155.16	327.00	327.00	97.92	290
□□□ □□□□□□□ □□□□ :-			19879.00	1704.65	12255.00	12255.00	1110.09	15980
6	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□/(□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□) (4-5)		-218.50	445.33	-433.50	-433.50	-14.11	-104
7	□□□□□□ □□□□□□/□□□□ (3+6)		68.26	91.59	10.16	10.16	9.57	10

□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□ (□.□□□.)

□□□□□□□ □□□□ **2022-23** □□□□□□ □□

(□□□□ □□□□ □□□ □□□)

□□□.	□□□□□□ □□□□ □□□□□□	□□□	□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ (□□□□ 20-21)	□□□□□□□□ □□ (□□□□ 20-21)	□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ (□□□□ 21- 22)	□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ (□□□□ 21-22)	31 □□□□□□□□ 2021 □□ □□□□□□□□ □□	□□ □□ □□ (□□
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	□□□□ □□□ □□ □□□□□□	1100000	357.22	150.23	259.43	259.43	90.15	
1.1	□□□□□□□□ □□	1101000	120.76	58.47	108.69	108.69	23.49	
	□□□□□□□□ □□ □□□□□□	1101001	34.73	21.81	30.13	30.13	9.98	

	□□□□□□ □□ □□□□□□	1101002	28.10	21.08	33.47	33.47	6.76	
	□□□□□□ □□ □□□□□□	1101003	37.20	8.80	30.42	30.42	4.63	
	□□□□□□ □□ □□□□□□	1101004	20.73	6.78	14.67	14.67	2.12	
□□□ :-			120.76	58.47	108.69	108.69	23.49	
1.2	□□ □□	1102000	186.89	71.43	108.75	108.75	58.96	
	□□□□ □□□□□ (□□□□□)	1102001	9.56	8.10	10.00	10.00	6.50	
	□□□□ □□□□□□ (□□□□□)	1102002	160.00	49.87	80.00	80.00	43.53	
	□□.□□.□□.□□. □□□□ (□□□□□)	1102003	5.33	3.64	5.00	5.00	1.86	
	□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□)	1102004	1.00	0.50	1.15	1.15	0.40	
	□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□□)	1102005	1.00	1.50	2.10	2.10	1.20	
	□□.□□.□□.□□. □□□□ (□□□□□□□□□□)	1102006	0.00	0.10	0.50	0.50	0.20	
	□□ □□□□□□□ □□□□□/□□□□ □□□□	1102007	10.00	7.72	10.00	10.00	5.27	
□□□ :-			186.89	71.43	108.75	108.75	58.96	
1.3	□□□□□□□ □□	1101300	0.22	0.06	0.22	0.22	0.03	
	□□□□□□□ □□	1101301	0.22	0.06	0.22	0.22	0.03	
□□□ :-			0.22	0.06	0.22	0.22	0.03	
1.4	□□□□ □□	1101400	49.35	20.27	41.77	41.77	7.67	
	□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□	1101401	15.76	5.81	16.76	16.76	2.69	
	□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□	1101402	8.15	5.35	9.89	9.89	1.54	

	□□□□□□ □□□□ □□□□□□	1101403	13.55	4.69	10.12	10.12	2.14	
	□□□□□□ □□□□ □□□□□□	1101404	11.89	4.42	5.00	5.00	1.30	
□□□ :-			49.35	20.27	41.77	41.77	7.67	
□□□ - □□□□ □□□ □□ □□□□□□ :-			357.22	150.23	259.43	259.43	90.15	
2	□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	1200000	1607.00	821.33	1660.00	1660.00	727.04	
2.1	□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□	1201000	65.00	44.67	110.00	110.00	27.78	
	□□□□□□□□□□ □□□□□□	1201001	65.00	44.67	110.00	110.00	27.78	
□□□ :-			65.00	44.67	110.00	110.00	27.78	
2.2	□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	1202000	1542.00	776.66	1550.00	1550.00	699.26	
	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□	1202001	1500.00	738.49	1500.00	1500.00	674.30	
	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	1202002	42.00	38.17	50.00	50.00	24.96	
□□□ :-			1542.00	776.66	1550.00	1550.00	699.26	
□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ :-			1607.00	821.33	1660.00	1660.00	727.04	
3	□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	1300000	125.15	66.29	151.73	151.73	45.27	
3.1	□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□	1301000	115.15	66.29	150.73	150.73	45.27	
	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□	1301001	35.00	30.81	60.00	60.00	25.65	
	□□□□□□/□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□	1301002	24.15	17.67	22.30	22.30	10.26	
	□□□□□□/□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□	1301003	22.00	7.13	25.43	25.43	4.46	

	□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□	1301004	8.00	1.59	8.00	8.00	1.44	
	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ (□□□□□)	1301005	5.00	1.14	5.00	5.00	0.98	
	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ (□□□)	1301006	5.00	1.46	5.00	5.00	0.65	
	□□□□□□□□/□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□	1301007	1.00	4.40	10.00	10.00	0.00	
	□□□□□□□□ □□□ □□□	1301008	5.00	0.33	5.00	5.00	0.33	
	□□□□ □□ (□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□)	1301009	5.00	0.10	5.00	5.00	0.20	
	□□□□□□ □□□	1301010	5.00	1.66	5.00	5.00	1.30	
□□□ :-			115.15	66.29	150.73	150.73	45.27	
3.2	□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□	1304000	10.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
	□□□□□□□□ □□ □□□□□□□	1304001	10.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
□□□ :-			10.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□			125.15	66.29	151.73	151.73	45.27	
4	□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□	1400000	177.99	33.28	250.45	250.45	27.07	
4.1	□□□□□□□□□□□ □□□□□□	1401100	15.39	3.02	20.25	20.25	1.53	
	□□□□□□□/□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□)	1401101	2.00	0.01	2.00	2.00	0.01	
	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□)	1401102	5.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
	□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□)	1401103	0.20	0.02	0.10	0.10	0.01	
	□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□)	1401104	0.10	0.02	0.10	0.10	0.01	
	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□)	1401105	0.07	0.01	0.05	0.05	0.02	

	□□□ □□□□□□ □□□	1401106	2.10	2.16	2.10	2.10	0.68	
	□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□	1401107	0.22	0.01	0.20	0.20	0.01	
	□□□□□□ □□□□/□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□	1401108	0.50	0.27	0.50	0.50	0.27	
	□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□	1401109	0.20	0.02	0.20	0.20	0.02	
	□□□□□□□□□ □□□□□□□□	1401110	5.00	0.50	5.00	5.00	0.50	
□□□ :-			15.39	3.02	20.25	20.25	1.53	
4.2	□□□□□ □□□□□□ □□□□□	1401200	5.30	4.19	5.30	5.30	3.85	
	□□□ □□□□□□□□	1401201	5.00	4.10	5.00	5.00	3.75	
	□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□	1401202	0.30	0.09	0.30	0.30	0.10	
□□□ :-			5.30	4.19	5.30	5.30	3.85	
4.3	□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□	1401300	0.40	0.15	0.50	0.50	0.09	
	□□□□□□□□□□ □□□□□□	1401301	0.10	0.01	0.10	0.10	0.01	
	□□□□-□□□□□□□□/□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□	1401302	0.10	0.01	0.10	0.10	0.01	
	□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□-□□□□□ □□□□□□	1401303	0.10	0.01	0.10	0.10	0.01	
	□□□□□□ □□ □□□□□□□	1401304	0.10	0.12	0.20	0.20	0.06	
□□□ :-			0.40	0.15	0.50	0.50	0.09	
4.6	□□□□□□□ □□□□□	1401500	5.00	2.52	5.00	5.00	1.74	
	□□□□□□ □□□□□□/□.□□.□□ □□□□ □□□ □□□□	1401501	5.00	2.52	5.00	5.00	1.74	

□□□ :-			5.00	2.52	5.00	5.00	1.74	
4.7	□□□□□□□□ □□□ □□□□	1402000	1.00	5.44	10.00	10.00	2.87	
	□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□)	1402004	1.00	5.44	10.00	10.00	2.87	
□□□ :-			1.00	5.44	10.00	10.00	2.87	
4.8	□□□□ □□□□□	1404000	138.30	14.72	138.30	138.30	13.98	
	□□□□□□□□ □□□□□	1404001	5.00	0.08	5.00	5.00	0.50	
	□□□□□ □□□□□	1404002	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	
	□□□□□ □□□□ □□□□□	1404003	1.20	0.41	1.20	1.20	1.07	
	□□□□□ □□□□□	1404004	0.50	0.03	0.50	0.50	0.20	
	□□□□□ □□□	1404005	0.50	0.11	0.50	0.50	0.10	
	□□□□□□□ □□□□□/□□□□ □□□□□□ □□□□□	1404006	1.00	0.38	1.00	1.00	0.31	
	□□□□□/□□□□□□□ □□□□□ □□□□□	1404007	20.00	0.73	20.00	20.00	2.82	
	□□□□□ □□	1404008	100.00	0.81	100.00	100.00	0.57	
	□□.□□.□□. (□□□□□□□ □□ □□□□□)	1404009	10.00	12.17	10.00	10.00	8.41	
□□□ :-			138.30	14.72	138.30	138.30	13.98	
4.9	□□□□□□□□ □□□□□□	1405000	6.60	2.16	65.10	65.10	2.58	
	□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□	1405001	2.00	0.91	2.00	2.00	0.53	
	□□□□ □□□□□	1405002	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	

	□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□	1405003	3.50	0.85	2.00	2.00	0.50	
	□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□	1405004	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	
	□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□)	1405005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	□□□□□/□□□□□ □□□□□	1405006	0.00	0.40	60.00	60.00	1.55	
□□□ :-			6.60	2.16	65.10	65.10	2.58	
4.10	□□□□□□□□□□ □□□□□□	1406000	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
	□□□□□□□ □□ □□	1406001	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
□□□ :-			1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
4.11	□□□□□/□□□□□□□□□□□ □□□□□□□	1407000	5.00	1.08	5.00	5.00	0.43	
	□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□	1407001	5.00	1.08	5.00	5.00	0.43	
□□□ :-			5.00	1.08	5.00	5.00	0.43	
□□□ - □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□			177.99	33.28	250.45	250.45	27.07	
5	□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□	1500000	29.50	2.41	15.50	15.50	4.26	
5.1	□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□	1501100	15.50	1.74	4.50	4.50	3.57	
	□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□	1501101	15.00	1.66	4.00	4.00	3.42	
	□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□	1501102	0.50	0.08	0.50	0.50	0.15	

□□□ :-			15.50	1.74	4.50	4.50	3.57	
5.2	□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□	1501200	6.00	0.17	3.00	3.00	0.00	
	□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□	1501201	6.00	0.17	3.00	3.00	0.00	
□□□ :-			6.00	0.17	3.00	3.00	0.00	
5.4	□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□	1504000	8.00	0.50	8.00	8.00	0.69	
	□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□	1504001	5.00	0.28	5.00	5.00	0.60	
	□□ □□□□ □□ □□	1504002	1.00	0.17	1.00	1.00	0.09	
	□□.□□.□□. □□□□ □□ □□	1504003	1.00	0.01	1.00	1.00	0.00	
	□□□□ □□□□□□ □□ □□	1504004	1.00	0.04	1.00	1.00	0.00	
□□□ :-			8.00	0.50	8.00	8.00	0.69	
□□□ - □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□			29.50	2.41	15.50	15.50	4.26	
6	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□	1600000	326.00	2.30	269.50	269.50	12.00	
6.1	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□	1601000	135.00	0.00	104.50	104.50	0.01	
	□□□□□□□□ □□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□	1601001	5.00	0.20	1.00	1.00	0.01	
	□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ (1/4)	1601002	5.00	0.00	2.00	2.00	0.00	

	□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□ □□□□□□/□□□□□□ □□□□□)	1601003	5.00	0.00	1.50	1.50	0.00	
	□□□□ □□□□□□□□ □□□□	1601004	120.00	55.94	100.00	100.00	0.00	
□□□□ :-			135.00		104.50	104.50	0.01	
6.2	□□□□□□□ □□□□□□□	1601100	191.00	2.30	165.00	165.00	11.99	
	□□.□□.□.□.□□□□□□./□□□□□ □□.□□□□□□□□□□/□□□□□□□□	1601101	80.00	7.67	10.00	10.00	5.12	
	□□□□ □□□□□□□□/□□□□□□□□/	1601102	60.00	53.22	100.00	100.00	4.97	
	□□□□□□□□ □□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□/□□.□□□□□□□ □□□□./□□□□□□□□□□ □□□□□□	1601104	5.00	2.30	5.00	5.00	1.90	
	□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□	1601106	46.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
□□□□ :-			191.00	2.30	165.00	165.00	11.99	
□□□□ - □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□			326.00	2.30	269.50	269.50	12.00	
7	□□□□□□□ □□□□□	1710000	33.00	10.74	33.00	33.00	11.97	
7.1	□□□□ □□□□□□□□/□□□□□ □□ □□□□□	1711000	10.00	10.74	10.00	10.00	11.97	
	□□□□ □□□□□□□□/□□□□□ □□□ □□ □□□□□□	1711001	10.00	10.74	10.00	10.00	11.97	
□□□□ :-			10.00	10.74	10.00	10.00	11.97	
7.2	□□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□	1712000	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	
	□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□	1712001	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	
	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□/□□□□□	1712002	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□	1712003	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	

□□□ :-			23.00	0.00	23.00	23.00	0.00
□□□ - □□□□□□ □□□□□			33.00	10.74	33.00	33.00	11.97
8	□□□□ □□	1800000	221.50	113.41	221.50	221.50	195.77
8.1	□□□□□□□□□□ □□ □□□□□	1804000	1.00	1.80	1.00	1.00	0.87
	□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□	1804001	1.00	1.80	1.00	1.00	0.87
□□□ :-			1.00	1.80	1.00	1.00	0.87
8.2	□□□□□ □□	1808000	220.50	111.61	220.50	220.50	194.90
	□□□□□□□□□□ □□ □□□□	1808001	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	□□□□/□□□□□□□□□□	1808002	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	□□□ □□□	1808003	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	□□□□ □□□ □□□□□□□	1808004	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00
	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□	1808005	2.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	□□□□ □□□□□□□□□□□□□ - □□□□ □□ □□□□□□□□	1808006	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	□□□□□□□□□□□	1808007	3.00	0.44	1.00	1.00	0.26
	□□□□□ □□□□	1808008	10.00	11.17	15.00	15.00	14.64
	<u>□□□□□□□□</u>	1808009	200.00	100.00	200.00	200.00	180.00
□□□ :-			220.50	111.61	220.50	220.50	194.90
□□□ - □□□□ □□			221.50	113.41	221.50	221.50	195.77
□□□ □□□□□□□ □□ :-			2877.36	1199.99	2861.11	2861.11	1113.53

□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□ (□.□□□.)
 □□□□□□□ □□□ **2022-23** □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□
 (□□□□ □□□□□ □□□ □□□)

□□□.	□□□□□ □□□□ □□□□□	□□□	□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ (□□□□ 20-21)	□□□□□□□□ □□□□ (□□□□ 20-21)	□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ (□□□□ 21-22)	□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ (□□□□ 21-22)	31 □□□□□□□□ 2021 □□ □□□□□□□□ □□□□	□□ □□ □□ □□ □□ (□□
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	□□□□□□□ □□□□	2100000	1373.00	1027.27	1414.50	1414.50	772.24	
1.1	□□□□/□□□□□/□□□□□ □□□□/□□□□□□□	2101000	918.00	867.32	1067.00	1067.00	691.77	
1.1	□□□□ □□□ □□□□□ - □□□□□□□/□□□□□□□□□	2101011	650.00	635.28	800.00	800.00	529.28	
	□□□□□□□□/□□□□□□□□□□/□□□□ □□□□□□□□□/□□□□□□□□□	2101011						
□□□ :-			650.00	635.28	800.00	800.00	529.28	
1.3	□□□□□□□ (□□□□□□□ □□□□□□□□)	2101100	268.00	232.04	267.00	267.00	162.49	
	□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	2101101	25.00	18.47	25.00	25.00	12.83	
	□□□□□□□ □□□□□	2101102	15.00	15.07	15.00	15.00	10.34	
	□□□□□□□□□□ □□□□□	2101103	25.00	13.39	25.00	25.00	9.57	
	□□□□□ □□□□□	2101104	12.00	9.60	12.00	12.00	5.96	
	□□□□□/□□□□□□□□□□	2101105	20.00	17.49	20.00	20.00	13.93	
	□□□□□□□□□ □□□□□	2101106	30.00	26.24	30.00	30.00	19.20	

	□□□□□□□□/□□□□	2101107	100.00	96.89	100.00	100.00	62.03		
	□□□ □□□□□□□	2101108	36.00	34.89	35.00	35.00	28.63		
	□□□□□□□□□ □□□□□□	2101109	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
□□□ :-			268.00	232.04	267.00	267.00	162.49		
1.4	□□□ □□□ □□□□□	2101200	20.00	9.42	17.50	17.50	4.45		
	□□□□□□□□□□ □□□□□- □□□□□□□□/□□□□□□□□□□/□□□□□□□	2102001	10.00	6.51	7.00	7.00	4.45		
	□□□□□□□ □□□□□	2102002	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00		
	□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□)	2102003	3.00	2.91	3.50	3.50	0.00		
	□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□	2102004	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□	2102005	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
□□□ :-			20.00	9.42	17.50	17.50	4.45		
1.5	□□□□□□	2103000	335.00	137.06	240.00	240.00	56.05		
	□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□)	2103001	100.00	25.51	100.00	100.00	0.00		
	□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ (□□□□□□ □□□□□□)	2103002	100.00	21.90	60.00	60.00	8.55		
	□.□□.□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□	2103003	80.00	64.14	75.00	75.00	47.50		
	□□□□□□ □□□□□□□	2103004	55.00	25.51	5.00	5.00	0.00		
□□□ :-			335.00	137.06	240.00	240.00	56.05		
1.6	□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□	2104000	100.00	13.47	90.00	90.00	19.97		
	□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□ (□□□□□□□□□□□□□□) □□□□□ □□□□□□□□	2104001	20.00	7.41	10.00	10.00	6.52		
	7□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□	2104002	80.00	6.06	80.00	80.00	13.45		

□□□ :-			100.00	13.47	90.00	90.00	19.97		
□□□ - □□□□□□□ □□□□			1373.00	1027.27	1414.50	1414.50	772.24		
2	□□□□□□□□ □□□□	2200000	289.10	61.68	249.85	249.85	39.38		
2.1	□□□□□□□□ □□□□	2201200	2.50	0.77	2.25	2.25	0.56		
	□□□□□□ □□□□	2201201	2.00	0.75	2.00	2.00	0.53		
	□□□ □□□□	2201202	0.50	0.02	0.25	0.25	0.03		
□□□ :-			2.50	0.77	2.25	2.25	0.56		
2.2	□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□	2202000	1.00	0.04	1.00	1.00	0.21		
	□□□□□□□□□/□□□□□□ □□□□	2202001	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00		
	□□□□□ □□□ □□□□□□□□□	2202002	0.50	0.04	0.50	0.50	0.21		
□□□ :-			1.00	0.04	1.00	1.00	0.21		
2.3	□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□	2202100	12.00	3.59	10.00	10.00	2.49		
	□□□□□□ □□□□ (□□□□□□□□□□)	2202101	5.00	2.02	4.00	4.00	1.34		
	□□□□ □□□□□□□□	2202102	5.00	1.57	4.00	4.00	1.15		
	□□□□□□□□ □□□ □□□□	2202104	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
□□□ :-			12.00	3.59	10.00	10.00	2.49		
2.4	□□□□□□ □□□ □□□□	2203000	4.00	1.20	3.00	3.00	0.50		
	□□□□□□ □□□ □□□□ - □□□□□□□□/□□□□□□□	2203001	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
	□□□□□□ □□□ □□□□ - □□□□□□□□/□□□□□□□□	2203002	3.00	1.20	2.00	2.00	0.50		
□□□ :-			4.00	1.20	3.00	3.00	0.50		

2.5	□□□□	2204000	10.00	5.36	10.00	10.00	4.83		
	□□□□/□□□□□□□□	2204001	10.00	5.36	10.00	10.00	4.83		
□□□ :-			10.00	5.36	10.00	10.00	4.83		
2.6	□□□□ □□□□□□ □□□□	2205000	55.00	1.30	100.00	100.00	3.70		
	□□□□□□ □□□ □□□□□□	2205001	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00		
	□□□□□□□□ □□□□/□□.□. □□□	2205002	5.00	1.30	50.00	50.00	3.70		
□□□ :-			55.00	1.30	100.00	100.00	3.70		
2.7	□□□□□ □□□□	2205100	2.00	0.10	2.00	2.00	0.00		
	□□□□□ □□□□□ (□□□□□□ □□□□□□)	2205101	2.00	0.10	2.00	2.00	0.00		
□□□ :-			2.00	0.10	2.00	2.00	0.00		
2.8	□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□	2205200	75.00	1.09	15.00	15.00	0.42		
	□□□□□□ □□□□□	2205201	70.00	1.09	10.00	10.00	0.42		
	□□□□ □□ □□□ □□-□□□□□□	2205203	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
□□□ :-			75.00	1.09	15.00	15.00	0.42		
2.09	□□□□□□□□ □□□ □□□□□□	2206000	19.60	8.38	19.60	19.60	8.44		
	□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□)/□□□□	2206001	2.00	0.00	2.00	2.00	0.46		
	□□□□□□□□ □□□□ - □□□□□□	2206002	5.00	4.96	5.00	5.00	3.80		
	□□□□□□ □□□□ □□□□ - □□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□	2206003	1.00	0.11	1.00	1.00	0.35		
	□□□□□□ □□□□ - □□□□-□□□□□□	2206005	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00		

	□□□□□□□□	2206006	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
	□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□	2206007	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00		
	□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□	2206008	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
	□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□	2206009	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
	□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□	2206010	8.00	3.31	8.00	8.00	3.83		
□□□□ :-			19.60	8.38	19.60	19.60	8.44		
2.10	□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□	2206100	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
	□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ - □□□□□ □□□□□□□	2206101	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
□□□□ :-			2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
2.11	□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□	2208000	106.00	39.85	86.00	86.00	18.23		
	□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□	2208001	5.00	0.00	3.00	3.00	0.00		
	□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□	2208002	5.00	1.52	5.00	5.00	1.39		
	□□□□□□□□□□ - □□□□□□□	2208003	5.00	0.60	5.00	5.00	0.42		
	□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□	2208004	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
	□□□□□□□□□□ - □□□□□□	2208005	5.00	1.42	5.00	5.00	0.47		
	□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□	2208006	10.00	1.94	5.00	5.00	1.49		
	□□□□□□□□□□ - □□□□□/□□□□□□□□□□	2208007	5.00	0.59	3.00	3.00	0.79		
	□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□	2208008	5.00	1.80	4.00	4.00	1.51		
	□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□	2208009	10.00	2.19	5.00	5.00	1.93		
	□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□ □□□□□□	2208010	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00		

	□□□□□□□□ - □□□□□□	2208011	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
	□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□	2208012	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
	□.□□□. □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□	2208013	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
	□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ /□□□□ □□□□□□ □□□□	2208014	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
	□□□□□ □□□□	2208015	20.00	19.06	20.00	20.00	0.00		
	□□.□□.□□. □□□□	2208015	10.00	10.73	10.00	10.00	10.23		
□□□ :-			106.00	39.85	86.00	86.00	18.23		
□□□ - □□□□□□□□□ □□□□			289.10	61.68	249.85	249.85	39.38		
3	□□□□□□□□□ □□□□□□□□	2300000	676.00	398.52	580.60	580.60	250.94		
3.1	□□□□□ □□□ □□□□	2301000	278.00	221.97	285.00	285.00	176.95		
	□□ □□□□□ - □□□□□	2301001	150.00	140.09	150.00	150.00	112.73		
	□□□□□ □□□□□□ - □□□□□□□ □□□□	2301002	50.00	43.58	50.00	50.00	32.66		
	□□□□□□□□/□□□ □□□ - □□□□□	2301003	15.00	8.18	12.00	12.00	6.89		
	□□□□ □□□□/□□□□□□/□□□□□□□□□□/□□□□ □□□□	2301004	60.00	29.05	70.00	70.00	24.28		
	□□□□ □□□□□□/□□□□□ □□□□	2301007	2.00	1.07	2.00	2.00	0.39		
	□□□□/□□□□□□□ - □□□□ □□□	2301008	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
□□□ :-			278.00	221.97	285.00	285.00	176.95		
3.2	□□□□□□ □□□ □□□□□□□□	2305000	100.00	31.27	60.00	60.00	9.78		
	□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□	2305001	20.00	9.30	20.00	20.00	2.12		
	□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□□	2305002	20.00	2.20	10.00	10.00	1.00		

	□□ □□□□□ □□ □□□□/□□□□ □□□□/□□□□ □□□□	2305003	20.00	3.96	10.00	10.00	3.78		
	□□□□/□□□□/□□□□□□ □□□□□□	2305004	20.00	8.25	10.00	10.00	1.90		
	□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□	2305005	20.00	7.56	10.00	10.00	0.98		
	□□□ :-		100.00	31.27	60.00	60.00	9.78		
3.3	□□□□□□ □□ □□□□□□□□ - □□□□ □□□□□□□□	2305100	30.00	3.81	23.00	23.00	4.11		
	□□□□□□/□□□□□□ □□ □□□□□□/□□□ □□□□□□/□□□□□□□□□□	2305101	10.00	2.39	10.00	10.00	1.05		
	□□□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□ □□ □□□□)	2305102	5.00	0.85	3.00	3.00	0.40		
	□□□□□□□□ □□ □□□□□□/□□.□□.□□□□□□□□/ □□□□□□□□ □□□□□□□□	2305103	5.00	0.30	5.00	5.00	1.96		
	□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□	2305104	10.00	0.27	5.00	5.00	0.70		
	□□□ :-		30.00	3.81	23.00	23.00	4.11		
3.4	□□□□□□ □□ □□□□□□□□ - □□□	2305200	67.00	10.76	65.00	65.00	3.62		
	□□□□□□□□ □□ (□□□□□□ □□□)	2305201	5.00	4.09	5.00	5.00	0.00		
	□□□□□□□□ □□ (□□□□□□ □□□□□□)	2305202	1.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
	□□□□ □□□	2305203	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
	□□□□□□□□ □□□□	2305204	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00		
	□□□□□□□□ □□□	2305205	10.00	2.23	10.00	10.00	2.94		
	□□□□□ □□□ □□□□□□	2305206	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
	□□□ □□□□□	2305207	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00		

	□□□□ □□ □□□□□ □□□□□	2305208	10.00	4.44	10.00	10.00	0.68	
	□□□□□ □□□□□	2305209	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
	□□□□□ □□□ □□□□□	2305210	1.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
□□□ :-			67.00	10.76	65.00	65.00	3.62	
3.5	□□□□□□ □□ □□□□□□□ - □□□□	2305300	19.00	4.86	17.60	17.60	3.87	
	□□□□□□□□ □□□□	2305301	2.00	0.30	2.00	2.00	0.20	
	□□□□□□□□/□□□□□/□□□□□□□□□/□□□□ □□□□	2305302	8.00	2.73	5.00	5.00	1.75	
	□□.□□.□□. □□□□	2305303	1.00	0.48	1.00	1.00	0.25	
	□□□□/□□□□ □□□□	2305304	5.00	0.60	7.00	7.00	1.55	
	□□□□□ □□□□	2305305	1.00	0.45	1.00	1.00	0.12	
	□□□/□□□□ □□ □□□□□□	2305306	1.00	0.10	0.60	0.60	0.00	
	□□□□ □□□□	2305307	1.00	0.20	1.00	1.00	0.00	
□□□ :-			19.00	4.86	17.60	17.60	3.87	
3.6	□□□□□□ □□ □□□□□□□ - □□□□□□□	2305400	2.00	0.20	1.00	1.00	0.10	
	□□□□□□□□□ □□□□□□□	2305401	2.00	0.20	1.00	1.00	0.10	
□□□ :-			2.00	0.20	1.00	1.00	0.10	
3.7	□□□□□□ □□ □□□□□□□ - □□□□□□□□□ □□□□□	2305500	5.00	63.78	7.00	7.00	0.83	
	□□□□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□	2305501	2.00	63.00	3.00	3.00	0.38	
	□□□□□□□□ □□□□	2305502	1.00	0.10	2.00	2.00	0.25	
	□□□□ □□□□	2305503	2.00	0.68	2.00	2.00	0.20	

□□□ :-			5.00	63.78	7.00	7.00	0.83		
3.8	□□□□□ □□ □□□□□□□ - □□□□□ □□□□□	2305600	9.00	0.95	6.00	6.00	0.40		
	□□□□/□□□□/□□□□□□	2305601	1.00	0.20	1.00	1.00	0.20		
	□□□□□□□ □□□□□□□□	2305602	3.00	0.75	2.00	2.00	0.20		
	□□□□□□□□□□□□/□□□□□□	2305603	3.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
	33 □□.□□□□. □□□□□□□□ □□□□□□	2305604	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
□□□ :-			9.00	0.95	6.00	6.00	0.40		
3.9	□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□	2308000	171.00	60.92	116.00	116.00	51.28		
	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□	2308001	25.00	24.81	25.00	25.00	20.45		
	□□□□□□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□□, □□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□□	2308002	5.00	1.14	5.00	5.00	2.63		
	□□□□□□ □□□□	2308003	2.00	0.79	2.00	2.00	0.00		
	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□	2308004	10.00	6.52	10.00	10.00	9.47		
	□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□	2308005	5.00	4.92	5.00	5.00	0.00		
	□□□□□□□□/□□□□□□	2308006	13.00	9.29	13.00	13.00	10.63		
	□□□□ □□□□□ - □□□□	2308007	15.00	13.45	10.00	10.00	8.10		
	□□ □□□□□□□ □□□□□□□□/□□□□	2308008	95.00	0.00	45.00	45.00	0.00		
	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□	2308009	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
□□□ :-			171.00	60.92	116.00	116.00	51.28		
□□□ - □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□			681.00	398.52	580.60	580.60	250.94		

4	□□□□□□ □□□□ □□□□□□	2400000	9.00	0.03	8.00	8.00	0.00		
	□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ (□□ □□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□ □□□□)	2402001	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
	□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□□ □□□□)	2402002	2.00	0.03	1.00	1.00	0.00		
	□□□□□□□ □□□□	2402003	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
□□□ :-			9.00	0.03	8.00	8.00	0.00		
□□□ - □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□			9.00	0.03	8.00	8.00	0.00		
5	□□□□□□□□□ □□□□	2500000	11.50	0.25	9.50	9.50	0.48		
5.1	□□□□□ □□□□ □□□□□□□□	2501000	5.00	0.00	3.00	3.00	0.00		
	□□□□□ □□□□	2501001	5.00	0.00	3.00	3.00	0.00		
□□□ :-			5.00	0.00	3.00	3.00	0.00		
5.2	□□□□□ □□ □□□□□□□□□□	2502000	6.50	0.25	6.50	6.50	0.48		
	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□/□□□□□□	2502001	2.00	0.25	2.00	2.00	0.48		
	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□	2502002	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
	□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□	2502003	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00		
	□□□□ □□□□□□□□□	2502004	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
	□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□	2502005	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
□□□ :-			6.50	0.25	6.50	6.50	0.48		
□□□ - □□□□□□□□□ □□□□			11.50	0.25	9.50	9.50	0.48		
6	□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□	2600000	232.00	65.98	155.00	155.00	26.81		

6.1	□□□□□□	2601000	232.00	65.98	155.00	155.00	26.81	
	□□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□	2601001	5.00	0.50	5.00	5.00	1.41	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	2601002	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□	2601003	50.00	14.30	25.00	25.00	6.10	
	□□.□□.□.□.□□□□□□./□□□□□ □□.□□□□□□□□□□/□□□□□□□□	2601004	50.00	7.67	25.00	25.00	1.20	
	□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	2601005	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
	□□□□□□□□□□□□□□□□	2601006	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□	2601007	7.00	0.00	4.00	4.00	0.00	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□- □□□□-□□□□□□□□□□□□	2601008	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□	2601010	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	2601011	40.00	43.19	20.00	20.00	15.92	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	2601012	0.50	0.32	0.50	0.50	0.18	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	2601013	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	2601014	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
	□□□□ :-		232.00	65.98	155.00	155.00	26.81	
	□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□		232.00	65.98	155.00	155.00	26.81	
	□□□□ - □□□□□□□□□□□□		2595.60	1553.73	2417.45	2417.45	1089.85	

□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□ (□.□□□.)

□□□□□□ □□□ **2022-23** □□□□□□□□□ □□□□□□ □□

(□□□□ □□□□ □□□ □□□)

□□□.	□□□□□ □□□□ □□□□□	□□□	□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ (□□□□ 20-21)	□□□□□□□□ □□ (□□□□ 20-21)	□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ (□□□□ 21-22)	□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ (□□□□ 21-22)	31 □□□□□□□□ 2021 □□ □□□□□□□□ □□	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (□□□□ 22-23)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□	3200000	19130.50	2102.54	7411.50	7411.50	1023.92	1137
1.1	□□□□□□□ □□□□□	3201000	6690.00	1371.96	4281.00	4281.00	540.50	757

	□□□□□ □□□□ □□ □□	3201001	50.00	5.00	50.00	50.00	0.00	5
	□□□/□□□□□□□/□□□□□□ □□□□□ □□□□□	3201002	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	150
	□□.□□.□□.□□. □□□□□	3201003	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2
	□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□	3201004	40.00	0.00	30.00	30.00	0.00	
	□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□) AHP-BLC)	3201005	6500.00	1366.96	3400.00	3400.00	540.50	375
	□□□□ □□□□□ 2.0	3201006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150
	SDRF □□.□□.□□.□□. □□□□□	3201007	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	75
	□□□□ :-		6690.00	1371.96	4281.00	4281.00	540.50	757
1.2	□□□□□ □□□□□	3202000	12410.50	725.58	3100.50	3100.50	480.67	377
	□□□□□□ □□□□ □□ □□	3202001	50.00	7.60	50.00	50.00	3.60	5
	□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□	3202002	80.00	53.75	80.00	80.00	25.09	10
	□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□ □□□□□□□)	3202003	50.00	0.00	100.00	100.00	0.00	10
	□□□□□ □□□□□ □□□□	3202004	80.00	80.63	100.00	100.00	54.91	10
	□□□□□□ □□□□□□	3202005	250.00	125.07	300.00	300.00	74.37	40
	14/15 (□□□□□□□□□□ □□□□□□) □□□ □□□□□ □□□□	3202006	400.00	445.53	500.00	500.00	166.33	50
	□□□ □□□□□□□ □ □□□□ (□□□□□□□□□□□ □□□□□)	3202007	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	50
	□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□	3202008	600.00	0.00	500.00	500.00	0.00	50

	□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□	3202009	50.00	0.00	20.00	20.00	0.00	2
	□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□	3202010	500.00	0.00	100.00	100.00	0.00	20
	□□□/□□□□□□/□□□□□□/□□□□ □□□□□	3202011	500.00	0.00	100.00	100.00	0.00	50
	□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□/□□□□□ □□□□□□□/□□□□□ □□□	3202012	650.00	13.00	100.00	100.00	17.00	10
	□□□□□□□□ □□□□	3202013	100.00	0.00	300.00	300.00	12.79	10
	□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□ □□□□)	3202014	300.00	0.00	400.00	400.00	126.40	40
	□□□□□□□□□□□□□ □□□□□	3202015	0.50	0.00	0.50	0.50	0.18	
	□□□□ □□□□□□	3202016	8500.00	0.00	50.00	50.00	0.00	10
	□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□	3202017	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	10
□□□ :-			12410.50	725.58	3100.50	3100.50	480.67	377
4.1	□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□	3303000	30.00	5.00	30.00	30.00	2.75	3
	□□□□□□ □□□□	3303001	10.00	5.00	10.00	10.00	2.75	1
	□□□□ □□□□□□□□□□□□□□	3303002	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	1
	□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□	3303010	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	1
□□□ :-			30.00	5.00	30.00	30.00	2.75	3
□□□ - □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□			19130.50	2102.54	7411.50	7411.50	1023.92	1137
2	□□□□□□□□□□ □□	3300000	50.00	0.00	200.00	200.00	0.00	15
	□□□□□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□	3305000	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	10
	□□□□ □□	3305001	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	5

□□□ - □□□□□□□□□□ □□			50.00	0.00	200.00	200.00	0.00	15
3	□□□□□□□□□□ □□	3310000	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	10
	□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□	3315000	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	10
	□□□□ □□ □□ (□□.□.□□./□□□□□□□□□□)	3315001	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	10
□□□ - □□□□□□□□□□ □□			50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	10
4	□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□	3410000	430.00	47.44	4160.00	4160.00	72.06	425
	□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□	3410001	20.00	0.00	50.00	50.00	0.00	5
	□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□.)	3410003	300.00	20.53	4000.00	4000.00	20.69	400
	□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□.)	3410004	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	5
	□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□ □□□□- □□□□□□□□/□□□□□□)	3411000	60.00	26.91	60.00	60.00	51.37	15
□□□ - □□□□□□□□			430.00	47.44	4160.00	4160.00	72.06	425
□□□ - □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□			19660.50	2149.98	11821.50	11821.50	1095.98	1587

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ (□.□□□.)
□□□□□□ □□□□ **2022-23** □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□
(□□□□ □□□□ □□□ □□□)

□□□.	□□□□□□ □□□□ □□□□□□	□□□	□□□□ □□□□	□□□□□□□□□□	□□□□	□□□□ □□□□	31	□□□
------	--------------------	-----	-----------	------------	------	-----------	----	-----

			□□ □□□□□□□□□□ (□□□□ 20-21)	□□□□ (□□□□ 20-21)	□□□□ □□ □□ □□□□□□ (□□□□ 21-22)	□□ □□□□□□□□□□ □□□ (□□□□ 21-22)	□□□□□□□□ 2021 □□ □□□ □□□□	□□ □□ □□ □□□□ (□□□□ 22-23)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	4120000	19489.00	1532.18	11868.00	11868.00	993.48	1532.18
2.1	□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□	4121000	9360.00	37.71	1418.00	1418.00	0.00	1532.18
2.1	□□□	4121100	220.00	0.00	840.00	840.00	0.00	1532.18
	□□□□□ □□□ □□□□□□□□	4121101	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	
	□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□	4121102	50.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
	□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□	4121103	50.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
	□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□	4121104	50.00	0.00	40.00	40.00	0.00	
	□□□ □□□□	4121105	50.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
	□□.□□.□□.□□. □□□□□	4121106	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	
□□□ :-			220.00	0.00	840.00	840.00	0.00	1532.18
2.2	□□□□□ □□□ □□□	4121011	510.00	0.00	430.00	430.00	0.00	
	□□□□ □□□□ □□□□□□□□/□□□□□□□	4121011	200.00	0.00	20.00	20.00	0.00	
	□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□□□	4121013	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	

	□□□□□. □□. □□. □□□	4121014	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00		
	□□□□/□□□/□□□□□□ □□□□□□□	4121017	100.00	0.00	200.00	200.00	0.00		
□□□ :-			510.00	0.00	430.00	430.00	0.00		
2.3	□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□	4121021	8550.00	0.00	105.00	105.00	0.00		
	□□□□/□□□□□□□□	4121022	50.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
	□□□□/□□□□□□□□□□	4121024	8500.00	0.00	100.00	100.00	0.00		
□□□ :-			8550.00	0.00	105.00	105.00	0.00		
2.4	□□□□□□□ □□□ □□□□□□□	4121051	20.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
	□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□	4121052	20.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
□□□ :-			20.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
2.5	□□□□□	4121061	60.00	37.71	41.00	41.00	0.00		
	□□□□ 407, □□□□□/□□□□ □□□□/□□□□ □□□□	4121063	20.00	0.00	40.00	40.00	0.00		
	□□□□□□□□□□ □□□□	4121064	40.00	37.71	1.00	1.00	0.00		
□□□ :-			60.00	37.71	41.00	41.00	0.00		
2.7	□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□	4121071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	□□□□□□□□□/□□□□□□□ □□□□	4121072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

□□□ :-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
□□□ □□□ - □□□□□□□ □□□□□□			9360.00	37.71	1418.00	1418.00	0.00	1
3.1	□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□	4122000	120.00	13.14	120.00	120.00	4.53	
3.1	□□□□ □□□ □□□□□□□□	4122001	120.00	13.14	120.00	120.00	4.53	
	□□□ □□□□□/□□□□□ □□□□	4122001	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
	□□□□□/□□□□□□ □□□□	4122002	100.00	13.14	100.00	100.00	4.53	
	□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□	4122003	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
□□□ □□□ - □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□			120.00	13.14	120.00	120.00	4.53	
4.1	□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□	4123000	8150.00	1317.67	7954.00	7954.00	826.48	8
4.1	□□□□ □□□ □□□□□□□□	4123000	8150.00	1317.67	7954.00	7954.00	826.48	8
	□□□ □□□□□ □□□□□	4123001	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	1
	□□.□□.□□.□□. □□□□□	4123002	50.00	2.46	54.00	54.00	22.84	
	□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□□□□□ □□□□□)	4123003	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
	□□ □□□□□□/□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□	4123004	350.00	0.00	500.00	500.00	0.00	

	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□/□□□□□/□□□□□ □□□□□)/□□□□□□□□/□□□□□□ □□□	4123005	650.00	21.06	600.00	600.00	15.00		
	□□□□ 2.0 □□□□□□	4123006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1
	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□□□□□ □□□□□□□	4123007	50.00	2.03	300.00	300.00	2.50		
	□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□□□□□)	4123008	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		
	□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ (AHP)	4123009	4500.00	91.90	4200.00	4200.00	88.26		3
	□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ (BLC)	4123010	2000.00	1200.22	1650.00	1650.00	697.88		
□□□□ □□□□ - □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□			8150.00	1317.67	7954.00	7954.00	826.48		8
5.1	□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□	4124000	1859.00	163.66	2376.00	2376.00	162.47		5
5.1	□□□□	4124100	585.00	6.66	1451.00	1451.00	63.14		2
	□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□	4124101	450.00	0.00	1350.00	1350.00	60.53		1
	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□□)	4124102	50.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
	□□□□□ □□□ □□□□□□□□ (□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□)	4124103	10.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
	□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□/□□□□□□□□□□/□□□□□□.)	4124104	10.00	0.00	50.00	50.00	0.00		
	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	4124105	15.00	0.00	20.00	20.00	0.00		

	□□□□□□□□ □□ □□□□□□	4124106	50.00	6.66	25.00	25.00	2.61		
□□□ :-			585.00	6.66	1451.00	1451.00	63.14		2
5.2	□□□□□□ □□ □□□	4124200	130.00	77.36	106.00	106.00	29.51		
	□□□□ □□□□□□	4124201	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
	□□□□□□ □□□□□□	4124202	100.00	60.95	80.00	80.00	28.51		
	□□□□□. □□. □□. □□□	4124203	5.00	5.57	5.00	5.00	0.00		
	□□□□ □□□□□ □□□□□□□□	4124204	20.00	10.84	20.00	20.00	1.00		
□□□ :-			130.00	77.36	106.00	106.00	29.51		
5.3	□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□	4124300	100.00	55.96	100.00	100.00	39.24		
	□□□□/□□□□ □□□□□□□	4124301	100.00	55.96	100.00	100.00	39.24		
□□□ :-			100.00	55.96	100.00	100.00	39.24		
5.4	□□ □□□□□	4124400	20.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
	□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□	4124401	20.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
□□□ :-			20.00	0.00	5.00	5.00	0.00		
5.5	□□□□□□□□□ □□□□□□	4124500	90.00	6.24	105.00	105.00	16.05		
	□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ CFL/LED	4124501	20.00	6.24	40.00	40.00	2.55		

	□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□□	4124502	20.00	0.00	50.00	50.00	0.00		
	□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□	4124503	50.00	0.00	15.00	15.00	13.50		
□□□ :-			90.00	6.24	105.00	105.00	16.05		
5.6	□□□□□□□□ □□□ □□□□□□	4124600	40.00	2.26	20.00	20.00	1.27		
	□□□□□□□ □□□ □□□□/□□□□□□□□□ □□□□□/□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□	4124601	40.00	2.26	20.00	20.00	1.27		
□□□ :-			40.00	2.26	20.00	20.00	1.27		
5.7	□□□□□	4124700	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00		
	□□□□□□□□□□ □□□□ (□□□□□□□□□)	4124701	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00		
	□□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□, 407 □□□□□□□/□□□□□ □□□□□	4124702	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00		
	□□□-□□-□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□	4124703	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00		
□□□ :-			30.00	0.00	30.00	30.00	0.00		
5.8	□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□	4124800	22.00	0.85	22.00	22.00	0.00		
	□□□□□□□□□□ □□□□□	4124801	5.00	0.43	5.00	5.00	0.00		
	□□□□/□□□□□ □□□ □□□□□	4124802	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
	□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□	4124803	10.00		10.00	10.00	0.00		
	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	4124804	5.00	0.42	5.00	5.00	0.00		
□□□ :-			22.00	0.85	22.00	22.00	0.00		
5.9	□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□	4124900	22.00	0.00	12.00	12.00	5.27		

	□□□□□□□□	4124901	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
	□□□□□ □□□□□□□ □□□□/□□□□ □□□□	4124902	20.00	0.00	10.00	10.00	5.27	
	□□□ :-		22.00	0.00	12.00	12.00	5.27	
5.10	□□□□ □□□□□□□□□□	4124010	820.00	14.33	525.00	525.00	7.99	1
	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	4124011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ (□□□□ □□□.□□)	4124012	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
	□□-□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□	4124013	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
	□□□ □□□□□□□/□□□□□□□□□□/□□□ □□□□□□□	4124014	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
	□□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□□□	4124015	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
	□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□	4124016	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
	□□□□□□/□□□□□□□/□□□□□ □□□□□□/□□□ □□□□□□□	4124017	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
	□□□□□□□□□□ □□□/□□□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□□□	4124018	100.00	9.51	100.00	100.00	1.19	
	□□□□□□□ □□□/□□□□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□ □□□□□ □□□□□	4124019	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
	□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□ □□□□□	4124020	50.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
	□□□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□/□□□□□ □□□□□ □□□□□□□	4124021	100.00	4.82	50.00	50.00	6.80	

	□□□ □□ □□□□□□/□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□	4124022	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00		
□□□ :-			820.00	14.33	525.00	525.00	7.99		1
□□□ □□□ - □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□			1859.00	163.66	2376.00	2376.00	162.47		5
□□□ - □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□			19489.00	1532.18	11868.00	11868.00	993.48		15
6	□□□□□	4215020	60.00	17.31	60.00	60.00	18.69		
6.1	□□□□□□□ □□□□	4215000	60.00	17.31	60.00	60.00	18.69		
	□□□□□ □□□□	4215001	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00		
	□□□□□ □□□□-□□□□□□□ □ □□□□□□□ (□□□□□□□ □□□□)	4215002	50.00	17.31	50.00	50.00	18.69		
	□□□ - □□□□□□□		60.00	17.31	60.00	60.00	18.69		
7	□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□	4600000	330.00	155.16	327.00	327.00	97.92		
7.1	□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□	4601000	100.00	55.16	110.00	110.00	18.69		
	□□□□/□□ □□□□□ □□□□	4601001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	□□□□ (□□□□□) □□□□□	4601002	50.00	28.50	60.00	60.00	21.37		
	□□□□□ □□□□□	4601003	50.00	26.66	50.00	50.00	16.55		
□□□ :-			100.00	55.16	110.00	110.00	37.92		
7.2	□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□	4602030	230.00	100.00	217.00	217.00	60.00		
	□□□□□-□□□□□□□ □□□□□□	4602001	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00		
	□□□ □□□□□□□□- □□□□□□□/□□□□□□□□□□/□□□□ □□	4602002	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00		

	□□□□□□ □□□□□□	4602003	10.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
	<u>□□□□□□□</u>	4602004	200.00	100.00	200.00	200.00	60.00		
□□□ -			230.00	100.00	217.00	217.00	60.00		
□□□□□□ - □□, □□□□□□ □□□ □□□□□□□			330.00	155.16	327.00	327.00	97.92		
□□□ - □□□□□□□□ □□□□			19879.00	1704.65	12255.00	12255.00	1110.09		15

(ख) स्वीकृत कार्य एवं योजनाएं -:

□□मार्ण □□□□□ □□ □□□□□□□

□□□.	□□□□□ □□ □□□	□□□□□□□ □□□□□ □□	□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□ □□□□□□
1	□□□□□ □□□□□□□ 05 □□□□ □□□ □□□ □□□□□	□□□□□□□□□□□□ □□□□□	□□□□ □□□	421162.00	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
2	□□□□□ □□□□□□□ 13 □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ (□□□□□□□□□□□ □□□□□)	□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□	443774.00	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
3	□□□□□ □□□□□□□ 18 □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□	□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□	□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□	981708.00	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
4	□□□□□ □□□□□□□ 20 □□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□	□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□	4553571.00	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

		□□□□□□□□□□ □□□□□			
5	□□□□□ □□□□□□□ 24 □□□□ □□□□□□ □□□□□	□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□	20089285.00	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
6	□□□□□ □□□□□□□ 12 □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□, □□□□□□□, □□□□□, □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□)	□□.□□□□□□□□□□□ □□□ □□	646723.00	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
7	□□□□□ □□□□□□□ 13 □□□ □□□□ □□□□□□	□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□	□□.□□.□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□	444278.00	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
8	□□□□□ □□□□□□□ 20 □□□□ □□□□□	□□.□□.□□.□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□2□□ □□□□ □□□□□ □□	1428199.00	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
9	□□□□□ □□□□□□□ 24 □□□□ □□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□	270133.00	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
10	□□□□□ □□□□□□□ 13 □□□ □□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□ 14 □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ 15 □□□□□ □□□□ □□□□□	□□.□□.□□.□□.□□. □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□□□□ 13 □□□ □□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□ 14 □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ 15 □□□□□ □□□□ □□□□□	12501579.00	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
11	□□□□□ □□□□□□□ 11 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□□□□ 11 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	2220722.00	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
12	□□□□□ □□□□□□□ 17 □□.□□□□□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□	2205016.00	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
13	□□□□□ □□□□□□□ 22	□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□ 22 □□□□□□ □□ □□□□□	2220722.00	□□□□□□

[illegible]

6	□□□□□ □□□□□□ 12 □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□, □□□□□□,□□□□□, □□□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□)	□□.□□□□□□□□□□ □□□ □□	$\bar{6}46723.00$	□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
7	□□□□□ □□□□□□□ 13 □□□ □□□□ □□□□□	□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□	□□.□□.□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□	$\bar{4}44278.00$	□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
8	□□□□□ □□□□□□□ 20 □□□□ □□□□□	□□.□□.□□.□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□2□□ □□□□ □□□□□ □□	$\bar{1}428199.00$	□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
9	□□□□□ □□□□□□□ 24 □□□□ □□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□	$\bar{2}70133.00$	□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
10	□□□□□ □□□□□□□ 13 □□□ □□□□ □□□□□□,□□□□□ □□□□□□□ 14 □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ 15 □□□□□ □□□□ □□□□□	□□.□□.□□.□□.□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□□□□ 13 □□□ □□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□ 14 □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ 15 □□□□□ □□□□ □□□□□	$\bar{1}2501579.00$	□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
11	□□□□□ □□□□□□□ 11 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□□□□ 11 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□	$\bar{2}220722.00$	□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

□ □ □ .	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □				□ □ □ □
---------	-----------------	-------------	--	--	--	---------

1	□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□	1129	6	1	1134	680400.00
2	□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□	971	0	1	970	582000.00
3	□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	78	0	0	78	46800.00
4	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	92	0	0	92	55200.00
5	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□	125	0	0	125	75000.00
6	□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	18	0	0	18	10800.00
7	□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□	120	1	0	121	72600.00
8	□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□:□□□□ □□□□□	179	2	0	181	108600.00
9	□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□	31	1	0	32	19200.00
10	□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□	6	0	0	6	3600.00
11	□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	510	10	0	520	312000.00
12	□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□	17	0	0	17	10200.00

अध्याय - तेरह

परिषद द्वारा दी गई रियायतों सुविधाओं अनुदानों या मंजूर किए गए प्राधिकारों के प्राप्त कर्त्ताओं की सूची

नगरपालिका मण्डला द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पुत्रियों के विवाह हेतु एक टेंकर पानी निःशुल्क प्रदान करने का प्रावधान है। जिसमें अब तक लाभांवित हितग्राहियों की सूची निम्नानुसार है -:

गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का पुत्री के विवाह पर निःशुल्क दो पहिया पानी टेंकर प्रदाय किया गया है

क्र.सं.	प्राप्तकर्ता/पुत्री का नाम	पुत्री का नाम	स्थल	पुत्री का नाम	पुत्री का नाम
1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

अध्याय - चौदह

नगरपालिका के पास प्राप्त या धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण

अ.क्र.	वर्ग	हार्ड कापी	इलेक्ट्रानिक फार्म
1	2	3	4
1	निरंक	सी.डी./ई-मेल के द्वारा	निरंक

अध्याय - पन्द्रह

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए प्रारंभ सुविधाएं

अ.क्र.	सुविधा	प्रभारी का नाम	सूचना प्राप्ति	टेलीफोन नंबर
1	2	3	4	5
1	न.पा.कार्यालय काउंटर के	सहायक लो.सू.अधि. अधीनस्थ प्रभारी कार्यालय	3 बजे से 5 बजे	250705

	माध्यम से	अधीक्षक		
--	-----------	---------	--	--

अध्याय - सोलह

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य

- लोक सूचना अधिकारी का नाम
पदनाम
दूरभाष
मोबाइल
ई-मेल
वेबसाइट
 - सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम
पदनाम
दूरभाष
मोबाइल
ई-मेल
वेबसाइट
 - प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम
पदनाम
दूरभाष
ई-मेल
- : गजानन नाफडे
-: मुख्य नगर पालिका अधिकारी
-: 07642-250705
-: 9425345105
-: cmomandla@mpurban.gov.in
-: Nagarpalikamandla.mp-np.in
-: दिलीप सोनी
-: प्र.कार्यालय अधीक्षक
-: 07642-250705
-: 8120454023
-: cmomandla@mpurban.gov.in
-: Nagarpalikamandla.mp-np.in
-: श्री परमेश जलोटे
-: संयुक्त संचालक
-: 0761-2426531, 2429931
-: ddjabalpur@mpurban.gov.in/
-: eejabalpur @mpurban.gov.in

अध्याय - सत्रह

अन्य सूचनाएं

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के अंतर्गत कोई भी नागरिक नगरपालिका परिषद् द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र का फार्म सूचना के अधिकारी से निःशुल्क/सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी। आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा।

अधिनियम 2005, की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी।

2. नगरपालिका के नीतिगत विनिश्चयों, नगरीय निकायों योजनाओं एवं लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा प्रशासनिक सुधार के लिए नागरिकों के रचनात्मक प्रस्ताव एवं सुझाव की वांछना करना है, व नागरिक लोक सूचना अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है, या लिखित में दे सकता है।

3. नगरपालिका परिषद्/प्रेसीडेंट इन काउंसिल एवं समितियों की बैठक के कार्यवृत्त आम नागरिकों की जानकारी व अवलोकन हेतु नगरपालिका कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित किए जाते हैं, व उनका निःशुल्क निरीक्षण कर सकेंगे।
4. नगरपालिका के करों से संबंधित ऐसेसमेंट व डिमांड रजिस्टर का कम्प्यूटराईज्ड करने का प्रयास किया जायेगा व अन्य ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों की व्यवस्था भविष्य में की जावेगी, जिससे नागरिकगण सूचना के अधिकार के अंतर्गत त्वरित व सुगमता से जानकारी प्राप्त कर सकें।
5. नगरपालिका में नागरिकों के कार्यों हेतु सिटीजन चार्टर का प्रकाशन किया है। नागरिकों से अनुरोध है कि, वे अपने कार्य भवन निर्माण, नल कनेक्शन, सफाई, प्रकाश, करों आदि के आवेदन निर्धारित प्रारूप, वांछित अभिलेखों व फीस के साथ प्रस्तुत करें। जिससे उनके आवेदन निर्धारित समय सीमा में निराकृत हो सकें।
6. अन्य

अध्याय – अठारह

निविदाएं -: विभाग की निविदाएं <https://mptenders.gov.in> पर हैं।

अध्याय – उन्नीस

सार्वजनिक निजी साझेदारी -: शासकीय सेवाएं प्रदान करने हेतु एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है।

अध्याय – बीस

स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश -: विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय/स्थापना द्वारा स्थानांतरण किए जाते हैं।

अध्याय – इक्कीस

आरटीआई आवेदन प्राप्त एवं निराकरण -: वर्ष 2022-23 के दौरान विभाग में आर.टी.आई. के तहत 122 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उक्त सभी आवेदनों का निराकरण किया गया।

अध्याय – बाईस

सीएजी और पीएसी पैरा - विभाग की जानकारी निरंक है।

अध्याय – तेईस

सेवा प्रदाय एक्ट – लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत नगरीय निकाय के – सेवाएं अधिसूचित हैं, जो निम्नानुसार हैं -:

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवाजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 428]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 अगस्त 2010—श्रावण 27, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २०१०

क्र. ४३०३-३०९-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक १७ अगस्त २०१० को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम २०१०.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना.
४. निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार.
५. निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान कराना.
६. अपील.
७. शास्ति.
८. पुनरीक्षण.
९. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
१०. नियम बनाने की शक्ति.
११. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१०.

[दिनांक १७ अगस्त, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ अगस्त, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, २०१० है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) "पदाभिहित अधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन सेवा प्रदान करने के लिये इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी;
- (ख) "पात्र व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा के लिये पात्र है;
- (ग) "प्रथम अपील अधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;
- (घ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;
- (ङ) "सेवा का अधिकार" से अभिप्रेत है, निश्चित की गई समय सीमा के भीतर धारा ४ के अधीन सेवा प्राप्त करने का अधिकार;
- (च) "सेवा" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा;
- (छ) "द्वितीय अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;
- (ज) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (झ) "निश्चित की गई समय सीमा" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय.

सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना.

३. राज्य सरकार, समय-समय पर, उन सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी जिनको यह अधिनियम लागू होगा.

४. पदाभिहित अधिकारी धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को, निश्चित समय सीमा के भीतर ऐसी सेवा प्रदान कराएगा। निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार।

५. (१) निश्चित की गई समय सीमा, अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए यथा अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को, प्रस्तुत करने की तारीख से प्रारंभ होगी। ऐसे आवेदन की सम्यकरूप से अभिव्यक्ति दी जाएगी। निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान कराना।

(२) पदाभिहित अधिकारी उपधारा (१) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर निश्चित की गई समय सीमा में या तो सेवा प्रदान करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा और आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित करेगा।

६. (१) कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है, आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से तीस दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा। अपील।

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिन की कालावधि के अवसान होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था।

(२) प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा।

(३) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध, द्वितीय अपील प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से ६० दिन के भीतर द्वितीय अपील की जा सकेगी :

परन्तु द्वितीय अपील प्राधिकारी, ६० दिन की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था।

(४) (क) द्वितीय अपील प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे या अपील को रद्द कर सकेगा।

(ख) द्वितीय अपील प्राधिकारी सेवा प्रदान कराने के आदेश के साथ धारा ७ के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(५) (क) यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा ५ की उपधारा (१) का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि प्रथम अपील का होता है।

(ख) यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपील प्राधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि द्वितीय अपील का होता है।

(६) प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी को, इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियाँ होंगी जो कि किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

- (क) दस्तावेजों का प्रकटीकरण तथा निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा करना.
- (ख) पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना; और
- (ग) ऐसे अन्य विषय जो कि विहित किए जाएँ.

शास्ति.

७. (१) (क) जहाँ द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसी एकमुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ५०० रुपये से कम तथा ५००० रुपये से अधिक नहीं होगी;

(ख) जहाँ द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी ने बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब किया है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसे विलंब के लिए २५० रु. प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो अधिकतम ५००० रुपये हो सकेगी :

परन्तु पदाभिहित अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा.

(२) जहाँ द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से निश्चित समय सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ५०० रुपये से कम तथा ५००० रुपये से अधिक नहीं होगी:

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा.

(३) द्वितीय अपील प्राधिकारी उसके द्वारा यथास्थिति उपधारा (१) या (२) या दोनों में अधिरोपित शास्ति में से ऐसी राशि प्रतिकर के रूप में, जो कि अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को दिये जाने के आदेश दे सकेगा.

(४) यदि द्वितीय अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है तो वह यथास्थिति उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा.

पुनरीक्षण.

८. द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने संबंधी दिये गये किसी आदेश से व्यथित पदाभिहित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश के तारीख से ६० दिन की कालावधि के भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा जो विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था तो वह ऐसे आवेदन को ६० दिन की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा.

९. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१०.(१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति.

(२) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाएंगे।

११. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी :

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २०१०

क्र. ४३०४-२०९-इक्कीस-अ-(प्र.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन् २०१०) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 24 of 2010.
THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI
GUARANTEE ADHINIYAM, 2010

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Notification of services, designated officers, first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits.
4. Right to obtain service within stipulated time limit.
5. Providing services in stipulated time limit.
6. Appeal.
7. Penalty.
8. Revision.
9. Protection of action taken in good faith.
10. Powers to make rules.
11. Power to remove difficulties.

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 433]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 सितम्बर 2011—आश्विन 2, शक 1933

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्र. एफ 308-05-01-2010.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2010 को अधिक्रमित करते हुए नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई

समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

सारणी

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. ऊर्जा विभाग						
1.1	निम्नदाब के व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिये मांग-पत्र प्रदान करना जहाँ ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है।	(अ) शहरी क्षेत्र जोन / वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी	11 कार्य दिवस 16 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियन्ता कार्यपालन अभियन्ता	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता
1.2	मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदाब नवीन कनेक्शन प्रदान करना।	(अ) शहरी क्षेत्र जोन / वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी	10 कार्य दिवस 14 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियन्ता कार्यपालन अभियन्ता	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता
1.3	जहाँ वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ 10 कि.मी. तक के लिये राशि जमा करने के उपरान्त अस्थाई कनेक्शन प्रदान करना।	(अ) शहरी क्षेत्र जोन / वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी	3 कार्य दिवस 3 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियन्ता कार्यपालन अभियन्ता	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता

1.4	जहाँ वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त भारवृद्धि के प्रकरणों में मांग पत्र जारी करना।	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी	7 कार्य दिवस 7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियन्ता कार्यपालन अभियन्ता	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता
1.5	जहाँ वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ मांग पत्र अनुसार शक्ति जमा करने तथा अनुपूरक अनुबंध किये जाने के उपरान्त भारवृद्धि करना।	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी	7 कार्य दिवस 7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियन्ता कार्यपालन अभियन्ता	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता
1.6	निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जांच कराना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना/बदलना।	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी	22 कार्य दिवस 37 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियन्ता कार्यपालन अभियन्ता	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता
1.7	स्थायी विच्छेदन करने संबंधी आवेदन का निराकरण।	(अ) शहरी क्षेत्र— जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र— वितरण केन्द्र प्रभारी	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियन्ता कार्यपालन अभियन्ता	7 कार्य दिवस 7 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता
2. श्रम विभाग (मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल)						
2.1	प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र (अ) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहाँ प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुग्रामीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर कलेक्टर

		(ब) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं है 1. आयुक्त, नगर निगम 2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	संभागायुक्त कलेक्टर
2.2	विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र (अ) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहाँ प्राधिकृत श्रम अधिकारी (ब) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं है 1. आयुक्त, नगर निगम 2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभागीय अधिकारी, राजस्व कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
2.3	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र (अ) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहाँ प्राधिकृत श्रम अधिकारी (ब) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं है 1. आयुक्त, नगर निगम 2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभागीय अधिकारी, राजस्व कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर

2.4	निर्माण श्रमिकों का पंजीयन।	ग्रामीण क्षेत्र	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(अ) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ हैं, वहाँ प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.5	निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना।	(ब) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं हैं।	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		1. आयुक्त नगर निगम	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		ग्रामीण क्षेत्र	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
3.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		शहरी क्षेत्र	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		1. आयुक्त नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. नगर पालिका/नगर पंचायत के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
3.1	विभागीय हैण्डपंप के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार।	उपयंत्री	7 कार्य दिवस	सहायक यंत्री	7 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री
3.2	विभागीय हैण्डपंप के जमीन के निचले भाग में हैण्डपंप के लाईन असेम्बली व सिलेंडर की गंभीर खराबी का सुधार।	उपयंत्री	15 कार्य दिवस	सहायक यंत्री	15 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री

4. राजस्व विभाग						
4.1	राजस्व परिपत्र खंड-छः क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना।	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
4.2	चालू खासरा/खसौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय।	तहसीलदार या उसके द्वारा प्राधिकृत राजस्व अधिकारी	5 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.3	चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय।	तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.4	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय।	तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.5	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति (हुस्लीकेट कॉपी) का प्रदाय।	तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	45 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.6	वस्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन ग्रामों में)।	तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.7	नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र।	नजूल अधिकारी	1 माह	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
4.8	शोध्य क्षमता प्रमाण पत्र।	(अ) तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में) (5 लाख रुपये तक)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (25 लाख रुपये तक)	45 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		स. कलेक्टर (25 लाख रुपये से ऊपर)	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव, राजस्व
5. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग						
5.1	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन नल कनेक्शन प्रदाय किया जाना।	(1) नगरपालिका / नगर पंचायत क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(2) नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)	30 कार्य दिवस	आयुक्त नगर पालिक निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

		(अ) आयुक्त, नगरपालिका निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
5.2	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र)।	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
6. सामान्य प्रशासन विभाग						
6.1	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना।	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	7 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
6.2	आय प्रमाण पत्र।	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	3 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	7 कार्य दिवस	कलेक्टर
7. सामाजिक न्याय विभाग						
7.1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।	ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नगरीय क्षेत्र के लिए (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर पंचायत	60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
7.2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बुढ़ावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना।	ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नगरीय क्षेत्र के लिए (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर पंचायत	60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
7.3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।	ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नगरीय क्षेत्र के लिए (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगर पंचायत	60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर

7.4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।	ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नगरीय क्षेत्र के लिए (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर पंचायत	60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
7.5	राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना।	ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नगरीय क्षेत्र के लिए (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर पंचायत	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
8. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग						
8.1	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना नियम, 1995 के अंतर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन पत्र का समाधान करना।	जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
9. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग						
9.1	नवीन बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी करना।	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में सहायक आपूर्ति अधिकारी जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र तहसीलदार	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर कलेक्टर
9.2	नवीन ए.पी.एल. राशनकार्ड जारी करना।	जिला मुख्यालय में स्थित नगरीय निकाय आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ जिला आपूर्ति अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय निकाय				
		आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के सचिव	30 कार्य दिवस	तहसीलदार	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व
10. वन विभाग						
10.1	वन्यप्राणियों से जन-हानि हेतु राहत राशि का भुगतान।	परिक्षेत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	वन मण्डल अधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.2	वन्यप्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान।	परिक्षेत्राधिकारी	7 कार्य दिवस	वन मण्डल अधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.3	वन्यप्राणियों से पशु-हानि राहत राशि का भुगतान।	परिक्षेत्राधिकारी	30 दिवस	वन मण्डल अधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक/संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.4	मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान। 1. डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान के प्रकरण 2. पृथक लाट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण	वन मण्डलाधिकारी वन मण्डलाधिकारी	45 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	वन संरक्षक वन संरक्षक	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
10.5	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना।	1. शासकीय काष्ठगार हेतु काष्ठगार अधिकारी/परिक्षेत्राधिकारी 2. काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु परिक्षेत्राधिकारी 3. भूमि स्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु उप वनमंडलाधिकारी	3 कार्य दिवस 10 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	उप वन मंडलाधिकारी उप वन मंडलाधिकारी वन मंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	वन मंडलाधिकारी वन मंडलाधिकारी वन संरक्षक

11. गृह विभाग						
11.1	मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर पोस्टमार्टम (पी. एम.) रिपोर्ट की प्रति का प्रदाय किया जाना।	संबंधित थाना क्षेत्र का थाना प्रभारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस (एस.डी. ओ.पी.) / नगर पुलिस अधीक्षक (सी.एस.पी.)	15 कार्य दिवस	पुलिस अधीक्षक
11.2	एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को प्रदान करना।	थाना प्रभारी	1 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस (एस.डी. ओ.पी.) / नगर पुलिस अधीक्षक (सी.एस.पी.)	7 कार्य दिवस	पुलिस अधीक्षक
11.3	लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण।	जिला दण्डाधिकारी	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त	7 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग
11.4	लायसेंस अवधि की समय-सीमा के पश्चात् अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण।	जिला दण्डाधिकारी	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग
12. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग						
12.1	राज्य सहायता निधि के अधीन रु० 1.00 लाख के प्रकरण (जिला स्तरीय) का स्वीकृत किया जाना।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	10 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	15 कार्य दिवस	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं
12.2	विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाना।	सिविल सर्जन	15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
12.3	दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना।	(अ) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		(ब) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	7 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
13. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग						
13.1	रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस जारी करना।	संबंधित जिले के उप संचालक, कृषि	30 कार्य दिवस	संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, कृषि	15 कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
13.2	रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस का नवीनीकरण।	संबंधित जिले के उप संचालक, कृषि	30 कार्य दिवस	संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, कृषि	15 कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

14. महिला एवं बाल विकास विभाग						
14.1	लाइली योजना के अंतर्गत स्वीकृति करना।	लक्ष्मी लक्ष्मी बाल विकास परियोजना अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला महिला बाल विकास अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
15. परिवहन विभाग						
15.1	लर्निंग लायसेंस करना।	ड्रायविंग जारी	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी. ओ.)	10 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस
15.2	वाहन प्रमाण-पत्र जारी करना।	फिटनेस जारी	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी. ओ.)	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस
16. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग						
16.1	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (ग्रामीण क्षेत्र)।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव.

अध्याय – चौबीस
डिस्क्रेशनरी और नॉन-डिस्क्रेशनरी अनुदान (विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान) -: विभाग की जानकारी निरंक है।

अध्याय – पच्चीस
सीएम/मंत्रियों/अधिकारियों के विदेशी दौरे -: वर्ष 2022 के दौरान विभागीय जानकारी निरंक है।